‘अनुच्छेद-370’

विषय पर एक परिचर्चा

‘Article -370’

a discussion

अरुण कुमार
अखिल भारतीय सह सम्पर्क प्रमुख, रा.स्व.संघ
Arun Kumar
Akhil Bharatiya Sah Sampark Pramukh, RSS

अरुण जेटली
तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, राज्य सभा
Arun Jaitley
Then Leader Of Opposition, Rajya Sabha

निर्मला सीतारमन
तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा
Smt. Nirmala Sitharaman
Then National Spokesperson,BJP

सुनील सेठी
पूर्व अध्यक्ष, जम्मू बार एसोसिएशन
Sunil Sethi
Former President, Jammu Bar Association

Jammu Kashmir Study Centre

‘अनुच्छेद-370’

विषय पर एक परिचर्चा

‘Article -370’

a discussion

अरुण कुमार

अखिल भारतीय सह सम्पर्क प्रमुख, रा.स्व.संघ

Arun Kumar

Akhil Bharatiya Sah Sampark Pramukh, RSS

अरुण जेटली

तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, राज्य सभा

Arun Jaitley

Then Leader Of Opposition, Rajya Sabha

निर्मला सीतारमन

तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

Smt. Nirmala Sitharaman

Then National Spokesperson,BJP

सुनील सेठी

पूर्व अध्यक्ष, जम्मू बार एसोसिएशन

Sunil Sethi

Former President, Jammu Bar Association

Jammu Kashmir Study Centre

Editorial Assistance :
Amarjeet Singh, *Research Associate & Programme Co-ordinator*
Devesh Khandelwal, *Research Associate*
Nandan Singh Bisht, *Research Assistant*
Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

First Edition : August, 2014

Published By:
Jammu Kashmir Study Centre
Pravasi Bhawan, 50
Deendayal Upadhayay Marg,
New Delhi-110002

Tel. : 011-2321 3039
Email : jkscdel@gmail.com
Website : www.jkstudycentre.org

Price : 20/-

Printed at : Pragati Creations
Dilshad Garden, Delhi-95
Tel : 011-2259 6695, 93124 38440
E-mail: pragatijp@yahoo.com

Discussion on "Article-370" was jointly organized by Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation & Jammu Kashmir Study Centre at the India International Centre, New Delhi on 23rd January 2014.

प्राक्कथन

अनुच्छेद 370 की जटिलता के दो कारण हैं। देश की स्वतंत्रता के पश्चात जिन नेताओं ने इस संवैधानिक व्यवस्था की रचना की और इसे पारित करवाया उन्हें न देश के जनमानस का कोई एहसास था, न जम्मू–कश्मीर की जनता की आवश्यकताओं का और न ही उन्हें देश के संदर्भ में जम्मू–कश्मीर की सामरिक स्थिति की कोई समझ थी।

आने वाले दिनों में इनसे देश की सुरक्षा और अखण्डता पर पडने वाले गम्भीर परिणामों की वे कल्पना ही नही कर पाए थे। प्रधानमंत्री नेहरू को अपनी भूल का एहसास कुछ वर्ष पश्चात हो गया था जब उन्होंने अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया। लेकिन कृष्णा मेनन और मुहम्मद करीम भाई छागला की प्रभावशाली और विस्तृत दलीलों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में पांसा पलट गया था। अपनी अदूरदर्शिता और अनुभवहीनता के कारण भारत के प्रधानमंत्री इस गलतफहमी में रहे कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भारत के संविधान विषेशज्ञों और अधिकतर गैर कांग्रेसी दलों के विरोध के बावजूद अनियंत्रित और असीमित अधिकार देने से ही वे जम्मू–कश्मीर का भारत में पूर्ण मिलन सुनिश्चित कर पाएंगे।

अनुच्छेद 370 इसी उम्मीद पर पारित करवाया गया था कि यह अस्थाई व्यवस्था है और धीरे–धीरे यह घिस–घिस कर समाप्त हो जाएगी। लेकिन 1953 में शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर के उन्होंने दिखा दिया कि जिस मोह में उन्होंने यह भूल की थी वह भंग हो चुका था। लेकिन अब तक भारत में

सांप्रदायिक राजनीति करने वाले कथित धर्मनिरपेक्ष दलों और राजनैतिक गुटों को इस बात का आभास हो गया था कि अनुच्छेद 370 मुस्लिम वोट बैंक पर अधिकार करने का सबसे कारगर हथियार बन सकता है अगर इसे भारत का आंतरिक मामला भर रहने देने के बजाए इसे अंतरराष्ट्रीय वहाबी इस्लाम का मुद्दा बना दिया जाए। इस से इस सामान्य और अस्थाई संवैधानिक व्यवस्था को हर कीमत पर बचाने और इसे स्थाई बनाने की मुहिम चल पड़ी। जम्मू-कश्मीर में इसके अलमबरदार कश्मीर घाटी की सुन्नी मुस्लिम आबादी पर हावी राजनैतिक और बौद्धिक गुट थे । इसकी मनमानी व्याख्याएं करने से इस अनुच्छेद को और अधिक जटिल बना दिया और न केवल भारत की जनता के लिए अपितु जम्मू-कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी के लिए भी यह अबूझ पहेली बन गई।

यह बात स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद 370 राज्य की संविधान सभा के अभाव में जम्मू-कश्मीर पर भारतीय संविधान लागू करने की एक तात्कालिक और अंतरिम व्यवस्था थी । जो लोग इस अनुच्छेद को हटाने का विरोध करते रहे हैं उन का अब तर्क है कि इस व्यवस्था के बावजूद भारतीय संविधान के अधिकतर अनुच्छेद और केंद्रीय कानून राज्य पर लागू किए जा चुके हैं, लगभग सभी संवैधानिक संस्थाओं का अधिकार क्षेत्र जम्मू-कश्मीर तक कर दिया गया है । इस तर्क से तो अनुच्छेद 370 ने अपना काम कर लिया है और अब इस को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब भी कुछ लोग इस अनुच्छेद को 'अस्पृश्य' मानते हैं जिसके साथ कोई छेड़-छाड़ नही की जानी चाहिए क्योंकि उन के अनुसार जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ विलय इसी अनुच्छेद से वैध माना जाता है, विलय इसी पर टिका हुआ है । इस अनुच्छेद के हटते ही विलय खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे लोग जम्मू-कश्मीर के विलय को

सशर्त मानते हैं । यदि वह शर्त अनुच्छेद 370 है तो भारत और उस की सवा सौ करोड़ जनता को वह स्वीकार्य नहीं है । न तो संविधान सभा की बहस के दौरान ऐसा कोई संकेत मिलता है कि जम्मू-कश्मीर के विलय को अनुच्छेद 370 पर निर्भर माना गया था और न ही इस अनुच्छेद को सदन में पेश करने वाले प्रस्तावक गोपाल स्वामी आयंगार के बयान में ऐसी कोई बात है । अनुच्छेद 370 को राष्ट्र को ब्लैकमेल करने का हथियार नही बनने दिया जा सकता है।

जब हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस अनुच्छेद को पारित करवाने का विरोध करने वाले सदस्यों के तर्कों का जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने आवेश में कहा था कि शक्ति संविधान में नही, जनता की इच्छा में निहित होती है । संभव है जनता की इच्छा से उनका आशय कश्मीर की जनता की इच्छा से रहा होगा । आज भी जम्मू-कश्मीर में बारी-बारी से सत्तासीन रहे गुट और उन के थोडे से समर्थक यही धमकी देते हैं कि अगर इस अनुच्छेद को हटा दिया गया तो कश्मीर की जनता भारत के साथ नहीं रहेगी । राज्य की जनता से उन का आशय, जम्मू या लद्दाख के लोगों से नहीं होता, केवल कश्मीर घाटी से ही हो सकता था । घाटी में भी अल्पसंख्यक हिंदू और सिख इस में शामिल नहीं होते और न पहाडी-गुज्जर । घाटी में जिस शिया समुदाय को कई दशकों से ताजिया निकालने की अनुमति नहीं, वे भी उन की गिनती में नही होंगे। इसलिए कश्मीर में ही नहीं, भारत के बड़े नगरों में भी अनुच्छेद 370 की वकालत करने वाले अधिक मुखर और अपने आक्रामक मीडिया प्रचार के कारण इस की एकतरफा तस्वीर बनाने में कामयाब हुए । इसलिए रोजगार, उद्योग, विकास और सुशासन से वंचित कश्मीरी समाज को यह बताने की आवश्यकता है कि उन की बेहबूदी के रास्ते में यही अनुच्छेद सबसे बड़ी बाधाा बन गया है जिसे कश्मीर के

हुक्मरान वर्ग कभी स्वायत्तता तो कभी स्वशासन के नाम से प्रचारित करते हैं । इस ठहराव को तोड़ने की आवश्यकता है । देश और राज्य की जनता को बताने की आवश्यकता है कि यदि भारतीय संविधाान का कोई भी अनुच्छेद या धारा बहस से परे नहीं है तो अनुच्छेद 370 भी नहीं है । यह बहस जितनी व्यापक और बहुआयामी होगी उतनी जम्मू-काश्मीर की जनता के लिए और भारत संघ के लिए उपयोगी होगी । जम्मू- कश्मीर की जनता को भी सुशासन और सही लोकतंत्र का हक है जो बहस और स्वतंत्र अभिव्यक्ति से ही संभव है, अनुच्छेद 370 का डर दिखा कर जनता के मुंह पर ताले लगाने से कदापि संभव नहीं।

– जवाहरलाल कौल

प्रख्यात पत्रकार और विचारक

सन् 1952 में जम्मू-कश्मीर सहित समस्त भारत के लिए एक निशान, एक प्रधान, एक विधान के सन्देश के साथ आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में धवजारोहण करते हुए डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

विषय-सूची

1- धारा 370 : अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा

– श्री अरुण जेटली 8

2- अनुच्छेद 370 : जम्मू-कश्मीर के लिए कोई विशेष दर्जा या शक्ति नहीं

– श्री अरुण कुमार 19

3- अनुच्छेद 370 : अलगाववाद का वाहक

– श्री सुनील सेठी 35

4- **Article 370: Constricting the Integration Process of State with India**

-Smt. Nirmala Sitharaman 43

धारा 370: अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा

- श्री अरुण जेटली

मित्रों, धारा 370 के संबंध में श्री सुनील सेठी जी, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी और श्री अरुण कुमार जी ने अलग-अलग पहलुओं पर आज यहां विस्तृत चर्चा की है। सच में इसके संदर्भ को समझने का और इस बहस को एक अन्तिम रूप देने का अब समय आ गया है। जब राजनैतिक निर्णय होते हैं तो इतिहास का अपना एक स्वभाव है कि इतिहास उसको लेकर कभी न कभी अपनी टिप्पणी निश्चित रूप से करता है। अनुच्छेद 370, सच में पंडित नेहरू जी का शेख अब्दुल्ला साहब से बात करने के बाद एक राजनैतिक निर्णय था और उस राजनैतिक निर्णय का बहुत बड़ा विरोध उस वक्त भी था। अगर आप संविधान सभा की बहस देख लें तो जिन प्रावधानों के बारे में सीमित और सबसे छोटी बहस हुई है, वह अनुच्छेद 370 था। उसके पीछे कारण था कि जिस दिन यह चर्चा हई उस दिन पंडित नेहरु जी स्वयं संविधान सभा में नहीं थे। गोपालास्वामी अय्यंगार को कहा गया कि इस विषय को सदन में रखिए और लगभग सब सदस्यों को कह दिया गया कि इस पर चर्चा नहीं होनी है। जिन लेगों को इसे लेकर मन में चिंता और शंकाएं थी उनसे कहा गया कि ये एक अस्थायी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। यह अपने आप समाप्त हो जाएगा। गोपालास्वामी अय्यंगार ने यह एक छोटे से अपने प्रारंभिक भाषण में भी कहा था। कुल मिलाकर चर्चा यह हुई कि जूनागढ़ से एक सदस्य ने खड़े होकर कहा कि अगर आप कश्मीर को विशेष दर्जा दे रहे हैं तो जूनागढ़ के लिए भी दे दीजिए। इससे ज्यादा चर्चा नहीं हुई है।

इस देश का दुर्भाग्य है कि जैसे इतिहास आगे बढ़ता गया और जो विकृत

मानसिकता देश की राजनीति में आयी, इसको एक सेक्रोसेन्ट किस्म का प्रावधान लोग मानने लगे। जो अस्थायी और क्षणिक था, जिसके बारे में पंडित नेहरु जी ने कहा कि घिसते-घिसते घिस जायेगा, आज लगता है कि धारा 370 इतना विवादित है कि जिस विचार और संगठन से मेरा संबंध है, हम कई बार अकेले ही इस विषय पर बोलने वाले रह जाते हैं। हमारे बहुत निकटतम मित्र भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन देश का जनमत इसके खिलफ है और कई बार यह लगता है कि हम लोग इस विषय को लेकर अलग-थलग तो रहते हैं लेकिन यह स्पेलेंडिड आइसोलेशन (उत्तम पृथककरण) है, जिसमें बहुत बड़ा वर्ग हमारे पक्ष में है। मैं हमेशा यह मानता हूं कि कभी न कभी इतिहास को यह निर्णय करना पड़ेगा कि पंडित जी का जम्मू-कश्मीर को लेकर जो दृष्टिकोण था वह सही दृष्टिकोण था या डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दृष्टिकोण सही था।

आज जब साठ साल से अधिक हो चुके, कहीं न कहीं इतिहास को निर्णय करने का अवसर भी आया है। यह कोई विशेषाधिकार नहीं है। विशेषाधिकार न होकर, जो अभी अरुण कुमार जी कह रहे थे कि केन्द्र और राज्यों के बीच में जो अधिकार का बंटवारा होता है, यह उसका संकेत है (it's a division of power)। संविधान का जो सातवां शेड्यूल है बाकी सब राज्यों के संबंध में division of power की, केन्द्रिय सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। 370 की वजह से उसका आज एक प्रभाव है कि केन्द्रिय सूची बहुत छोटी है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, करेंसी, संप्रभुता जैसे विषय आ जाते हैं। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन आ जाता है, रक्षा मंत्रालय आ जाता है, बाकी सब विषय स्टेट लिस्ट में है जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में। बाकी देश के लिए जो

लम्बी सूची, केन्द्रिय सूची है वह वहां लागू नहीं होती। वहां राज्य सूची लम्बी है, लगभग समवर्ती नहीं है और समवर्ती सूची न होने की वजह से कई अलिखित बात आती है, जिसको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, जो केंद्रीय सूची की प्रवृष्टि 97 के तहत केंद्र का अधिकार माना जाता है, जो जम्मू–कश्मीर में स्वभाविक रूप से स्टेट का अधिकार माना जाता है।

जम्मू–कश्मीर स्टेट के पास इतना अधिकार आपने दे दिया कि–आज जब भी मौजूदा समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास होता है, तो वह हल ढूंढने का प्रयास किस सोच से होता है। अगर आप ईमानदारी से पिछले 60–65 वर्ष की यात्रा तय करें तो ये जो सेपरेट स्टेटस था या स्पेशल स्टेट्स (विशेष दर्जा) था, इसकी यात्रा अपने आप में सेपरेटिज्म (अलगाववाद) की दिशा में हुई है। एकीकरण और एकत्रीकरण की दिशा में नहीं हुई है। एक प्रकार से यह प्रयास है कि किसी प्रकार से राजनैतिक और संवैधानिक रिश्ता जम्मू कश्मीर का और बाकी देश का जो है, उसको कमजोर किया जाए। पाकिस्तान का ऐजेंडा क्या है? पाकिस्तान का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। जम्मू–कश्मीर विभाजन का अधूरा एजेंडा है। वे जम्मू–कश्मीर को कभी भी भारत का अंग स्वीकार नहीं करते। यह राजनीतिक रिश्ता अपने आप में समाप्त किया जाय। नेशनल कांफ्रेस 1953 से पूर्व की स्थिति कहती है। वे हर दस्तावेज में जो स्वायत्तता की बात करते हैं, जिसमें झंडा अलग हो, संविधान अलग हो, प्रधानमंत्री हो, परमिट सिस्टम हो, सदरे रियासत हो ताकि यह जो रिश्ता है थोड़ा सा कमजोर हो जाए। वहीं पी.डी.पी. उससे एक कदम आगे कहती है, वह self rule (स्वशासन) की बात करते हैं। एक अलग दर्जा (separate status), दूसरा 1953 से पूर्व की स्वायत्तता (pre 1953 autonomy), तीसरा स्वशासन (self rule) और चौथा कदम उस

दिशा में है आजादी, जो अलगाववादी कहते है। और हर सोच का, हर विचार का विकास यह है कि संवैधानिक और राजनीतिक संबंध कमजोर हो। पाकिस्तान ने इस समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि इसकी वजह से पहले परम्परागत युद्ध और उसके बाद छद्म युद्ध (proxy war) के माध्यम से यह समस्या उन्होंने बढ़ाई। यह समस्या उनका अपने आप में प्रयास रहा। जो समाधान हमने निकालने की कोशिश की, जिसका तीनों वक्ताओं ने भी जिक्र किया, वह आर्टीकल 35ए था। मैंने करीब 10 पुस्तकें भारत के संविधान की जांच की है, उनमें कहीं भी आर्टीकल 35ए के सन्दर्भ में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। आर्टीकल 370 का एक उप-प्रावधान है जो कहता है कि राष्ट्रपति के आदेश से आप विशेष प्रावधान जम्मू-कश्मीर के लिए सम्मिलित कर सकते हैं। आर्टीकल 35ए संविधान का विधायी प्रावधान नहीं है, वास्तव में 35 ए एक विशेष प्रावधान की उपज है, जिसे संविधान में सम्मिलित किया गया क्योंकि यह राष्ट्रपति के आदेश से आया है, इसलिए जब भी संविधान के नियमित कार्यक्रम के अर्न्तगत कोई प्रकाशन आता है तो उसमें आपको 35 ए नहीं मिलेगा।

प्रो. पी.एम. बख्शी की संविधान की कापी में 35ए का उल्लेख है। उसमें जिसको हम स्टेट का विषय कहते हैं, 35ए में उसका पर्मानेंट रेसिडेंट के लिए संदर्भ है। जिसमें जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी को जमीन को लेकर, रोजगार को लेकर जो विशेष अधिकार देने हैं या अन्य कोई विशेष अधिकारों की गिनती करनी है वह करने का अधिकार जम्मू-कश्मीर की विधान सभा को है। अब 35 ए एक जड़ बन जाता है इस समस्या की, कोई वहां जाकर संपत्ति नहीं खरीद सकता, जो प्रवासी 1947 के बाद वहां आकर बसे वह लोकसभा के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। वे भारत के नागरिक हैं किन्तु राज्य के स्थायी निवासी न

होने के कारण विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकते पूर्व में। जितनी भी संसदीय समितियां पिछले कुछ सालों में वहां गयी हैं, कभी भी तनाव होता है तो सभी दलों की समिति वहां जाती है, मैं लगभग हर समिति में वहां गया हूं। उस दौरान एक समिति में मेरा अनुभव श्रीनगर में भी आया और जम्मू में भी। दोनों क्षेत्रों से एक लाजमी शिकायत मुझे सुनने को मिली कि वहां इंजीनीयरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, डेंटल कालेजों में फैकल्टी की भर्ती नहीं की जाती, जिसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

जितने भी सांसद या मंत्री उस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, उन्हें और वहां के प्रशासन को मैंने कहा कि वहां पर इतनी लापरवाही क्यों है, कम से कम प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा यहां हमें प्रोफेसर मिल नहीं रहे हैं। मैंने पूछा कि आप को क्यों नहीं प्रोफेसर मिल रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बाहर से यहां आकर कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। मेडिकल कालेज में, डेंटल कालेज में, इंजिनीयरिंग कालेज में कोई आकर पढ़ाने को तैयार नहीं है। अगर कोई नौकरी यहां आकर करता भी है तो उसको रोजगार स्थायी रूप से करने के लिए वहां घर लेना पडेगा, जिसे वह यहां ले नहीं सकता। यहां के प्रोफेशनल कालेजों में उसके बच्चे को दाखिला नहीं मिल सकता और यहां पर सार्वजनिक सेवाओं में नौकरी नहीं मिल सकती। तो अगर वह यहां पर आकर मेडिकल या इंजिनीयरिंग कालेज में प्रोफेसर के नाते से पढाना शुरु कर देता है तो यह सारी सुविधाएं उसको नहीं मिलेंगी। इसलिए वहां कोई भी बाहरी फैकल्टी आने की इच्छा जाहिर नहीं करता। स्टेट के भीतर से फैकल्टी लानी है और वह उनके पास पर्याप्त नहीं है, इस पर मैंने उनसे तुरन्त कहा कि यह अनुच्छेद 370 का परिणाम है। अगर आपके मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, डेंटल

कालेज ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो यह अनुच्छेद 370 की देन है।

आज सम्पूर्ण देश की जो आर्थिक प्रगति है, वह घरेलू निवेश या अन्तरराष्ट्रीय निवेश के कारण है। देश के अन्दर निवेश बढ़े तो निवेश की वजह से देश के आर्थिक अवसर बढ़े, आर्थिक अवसर की वजह से रोजगार बढ़े, राज्य का राजस्व बढ़े, लेकिन एक अलग विचार को लेकर आप चलेंगे और निवेशक को आप जो बुनियादी सुविधा अन्य राज्यों में जो देते हैं, वह आप जम्मू-कश्मीर में नहीं देंगे, जैसे उन प्रोफेसरों के साथ आपने किया। आप ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे राज्य के अन्दर किसी प्रकार का निवेश न आ सके।

प्रधाानमंत्री श्री मनमोहन सिंह दो या तीन बार जम्मू-कश्मीर में गए। जब पहली बार गए तो उन्होंने वहां एक राउन्ड टेबल बैठक का आयोजन किया और विभिन्न कार्य समूह बना दिए। और उन कार्य समूहों को कहा गया कि अलग-अलग समस्याएं जो राज्य की हैं उन पर सभी समूह चर्चा करेंगे। उसमें एक समूह बना दिया कि राज्य का और बाकी देश का संवैधानिक रिश्ता क्या होना चाहिए? तो हर पार्टी ने उन छः समूहों में हर पार्टी के लोग नामांकित किये गए। तो हमारे भी जो राज्य के नेता थे हमने भी उन्हें पांच समितियों में उनका नाम दे दिया। छठवीं समिति, जिसे जम्मू-कश्मीर और भारतीय संघ के मध्य संबंधों पर विचार करना था। उस समिति में किसी स्थानीय व्यक्ति को न डालकर उसके स्थान पर मुझे कहा गया कि आप उस समिति के सदस्य बनें, तो यह बड़ा गंभीर विषय है। हम लोग उसकी पहली बैठक में गए। सबका आपस में परिचय हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज थे जस्टिस सगीर अहमद, उसके चेयरपर्सन (अध्यक्ष) थे, अच्छे आदमी थे लेकिन बीमार थे। हर 15-20 मिनट के बाद वे कहते थे कि आज की बात हो गयी, सबसे परिचय हो गया,

कोई सुझाव हो तो उसे भेज दीजियेगा और फिर दूसरी बार मिले फिर उसके बाद मिले ही नहीं। मुझे पता चला बेचारे बहुत बीमार थे। उस कार्य समूह का कोई सदस्य उनसे ना मिला और न ही कभी वे लोगों के बीच आए। मुझे कोर्ट परिसर से पता चला कि वे लोगों के बीच में आने में असमर्थ है। फिर उस समूह की कोई बैठक नहीं हुई। अचानक से एक दिन उस समूह की रिपोर्ट आ गयी और जम्मू-कश्मीर सरकार का एक सचिव राज्य के मुख्यमंत्री को वह रिपोर्ट दे आया। किसी भी समूह के सदस्य ने इस रिपोर्ट को नहीं देखा था और समूह की कोई बैठक नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय स्वयं शारीरिक और मानसिक रूप से उपस्थित होने में अक्षम थे किन्तु उनकी रिपोर्ट में यह पुनः लिखा गया कि आर्टिकल 370 को परमानेंट ही माना जाना चाहिए। मैंने तुरंत प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि मैं इस ग्रुप का सदस्य हूं, वहां कोई बैठक नहीं हुई, कोई परामर्श नहीं लिया गया, किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी का कुछ भी मत ही नहीं लिया गया, यह रिपोर्ट अचानक से कहां से प्रकट हो गयी। और अब मैं कई बार देखता हूं कि ये जितने लोग 1953 से पूर्व (प्री 1953) और स्वशासन (सेल्फ रूल) वाले हैं, उस दस्तावेज को वे लोग एक पवित्र दस्तावेज के रूप में उद्धृत कर रहे है, जिसको रहस्यमय तरीके से प्रस्तुत किया गया था। जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में इन कार्य समूहों का गठन करना ही मात्र हमारे प्रधानमंत्री की ओर से की गई महत्वपूर्ण पहल थी।

दूसरी बार जब वहां गए तो उस समय तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने उसको शांति कूटनीति (Quiet Diplomacy) नाम दे दिया था। और हम लोग समाधान निकालने के करीब हैं। हमारी बातचीत चल रही है। उसके अलावा उन्होंने जो कार्यसमूह बनाए थे, उसके अलावा राज्य के आर्थिक विकास के

लिए एक रंगराजन समिति बनायी। (श्री रंगराजन प्रधानमंत्री के इकोनामिक एडवाइजरी काउंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उस समिति ने एक रिपोर्ट बनाई। दो साल बाद फिर प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़े पहल की घोषणा करने जा रहा हूं। जम्मू-कश्मीर के आर्थिक विकास को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए मैं रंगराजन की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन करने जा रहा हूं। मुझे ध्यान आया कि शायद, मैंने पहले भी जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में रंगराजन की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, तो वही प्रक्रिया दोबारा दोहराया गया। यह अलग बात है कि एक बार उन्होंने रिपोर्ट दे दी और दूसरी बार रिपोर्ट नहीं दी उस समिति ने।

अभी हाल ही में 3 जनवरी को एक प्रेस कांफ्रेंस हुई, उस प्रेस कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री ने अधिकतर सवालों का जवाब दिया कि समय बताएगा। और वे जो कहना चाहते थे उसके बारे में बहुत सचेत थे। उस संदर्भ में उन्होंने एकमात्र उत्तर दिया और कहा कि हम लोग पाकिस्तान के साथ जम्मू-कश्मीर विषय पर लगभग समाधान तक पहुंच चुके हैं। अब यह बहुत अजीब विषय था कि लगभग समाधान क्या है? अब भारत सरकार की एक स्थिर स्थिति है जम्मू-कश्मीर पर। अब भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध में ट्रैक-2 चलता है और यह भी मैं मान लेता हूं कि कूटनीति में जो ट्रैक-2 होता है वह साधारण ट्रैक से एक कदम आगे हो सकता है। लेकिन देश की स्थिति पर रुख पूरी तरह से भिन्न नहीं हो सकता । चार साल पहले जब मुशर्रफ साहब निर्वासन के दौरान लंदन में थे तो लगभग यही बयान उन्होंने भी दिया था कि हम लोग भारत के साथ इस विषय पर लगभग समाधान तक पहुंच चुके हैं।

जहां तक मेरी समझ है कि यह जो वार्ता की जगह है, वह बहुत सीमित है

और उस वार्ता की जगह में प्रदेशों को लेकर कम से कम वार्ता के लिए कोई जगह नहीं है, जो पाकिस्तान के प्रवक्ता कहते हैं, वह अपने आप में बहुत चिंताजनक विषय है। वे घाटी से विसैन्यीकरण की बात करते हैं। अब आतंक खत्म नहीं होगा, लेकिन फौज हटा ली जायेगी, बिना रोकटोक आवाजाही होगी और निर्धारित सीमा का विलय हो जाएगा। अब मैं यही आशा करता हूं कि उस ''लगभग समाधान'' का नतीजा यह न हो। अरुण जी को याद होगा कि चार-पांच साल पहले जब मुशर्रफ साहब ने यह बयान दिया था तो ये और मैं चर्चा किया करते थे और हमारे सूत्र हमें बतलाते थे कि ये सब विषय एजेंडे में शामिल थे। उनमें से हम केवल एक विषय पर देशभक्ति दिखा रहे हैं, जिस विषय पर हम असहमत हैं, वह यह है कि दोनों मुल्कों के मुद्राओं का घाटी में चलना। यह उनकी मांग थी। अब इसको 370 के साथ जोड़िए, जिसको मैं बार-बार कहता हूं कि इस राजनैतिक और संवैधानिक रिश्ते को कमजोर करना, सेपरेट स्टेटस की यात्रा को सेपरेटिज्म की तरफ ले जाना। तो 370 ने उसको आरंभ किया, उस सेपरेट साईकी का निर्माण किया, कोई उसको प्री-53, सेल्फ रुल, आजादी, संयुक्त प्रशासन एवं नियंत्रण, यह जितने विषय हैं एक-एक करके उस दिशा की ओर ले जाने वाले हैं और इसलिए अब यह जो बार-बार बहस होती है आर्मड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट की, वह क्या बहस है? एक बड़ी दिलचस्प बात है कि सभी पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर में गया हुआ था, जब वहां पथराव चल रहा था, उससे पहले अमरनाथ आंदोलन के दौरान गया था दोनों स्थानों पर तो उस वक्त बहुत जोर से वहां से यह उठकर आयी और यह राय बन रही थी कि हम लोग ए.एफ.एस.पी.ए को समाप्त करें। वहां उपद्रवग्रस्त क्षेत्र है, इसलिए आर्मड फोर्सेज हैं। ए.एफ.एस.पी.ए केवल

इतना कहता है कि अगर आर्मड फोर्सेज वहां पर है और अपनी ड्यूटी के दौरान किसी को चोट लग जाती है या फिर किसी को नुकसान हो जाता है, किसी की जान चली जाती है तो किसी आर्मड फोर्स यूनियन के व्यक्ति पर अभियोग चलाने से पहले, केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत पड़ती है। जब यह मांग चल रही थी तब मैंने वहां आफिसर्स से पूछा कि सेना के अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए कितने आवेदन लंबित हैं? उन्होंने कहा कि जितने भी अलगाववादी समूह हैं या उपसमूह हैं, उनके द्वारा ये आवेदन दिए गए हैं। उस समय उन्होंने दो हजार, पांच सौ आवेदन दिये थे। इसलिए जहां भी सेना की तैनाती की जाएगी और वहां घटना घटती है तो वे कर्नल के ऊपर मुकदमा चलाने की कोशिश करते हैं, जिसके खिलाफ केस चलेगा वह चार बार सोचेगा कि वहां जाकर आर्मड फोर्सेज के पावर को वे उपयोग करे कि नहीं, तो आप इस एक्ट को समाप्त कर दीजिए। इस पर गृहमंत्री ने एक समाधान सुझाया कि जहां-जहां कुछ शांति है, स्थिति में सुधार है वहां से हम आर्मी को हटा लेंगे, और हम सी. आर.पी.एफ को वहां नियुक्त कर देंगे। सी.आर.पी.एफ.के कुछ उच्च अधिकारी मुझसे रात में मिलने आए। उनको मालूम था कि हम लोगों का क्या स्टैंड है। वे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेकर आए थे। उस जजमेंट में लिखा था कि सशस्त्र बल यूनियन के अन्तर्गत कौन आता है। सशस्त्र बल यूनियन के अन्तर्गत थल सेना और वायु सेना तो आते है, लेकिन नौसेना इसके अन्तर्गत इसलिए नहीं आती क्योंकि उनकी तैनाती ऐसी तनावग्रस्त क्षेत्रों में नहीं है। सभी चारों अर्द्धसैनिक बल-केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), असम राइफल्स और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) भी सशस्त्र बल यूनियन के अन्तर्गत आते हैं। मैंने अगले दिन गृहमंत्रालय के अधिकारी से

कहा कि सशस्त्र बल यूनियन के अन्तर्गत सीआरपीएफ (CRPF) आता है। अगर आप सीआरपीएफ रखेंगे तो ए.एफ.एस.पी.ए. से फिर भी उनको संरक्षण मिलेगा। दो सप्ताह बाद जब उन्हें एहसास हुआ तब उसके बाद उन्होंने फिर एक सुझाव दिया कि, ए.एफ.एस.पी.ए. को उन जिलों में से हटा दिया जायेगा जहां शांति हो जायेगी। ये भी जाहिर तौर पर तर्कसंगत लगता था। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि गंभीरता का स्तर वहां क्या था। तो मैंने पूछा कि क्या संभव है कि ए. एफ.एस.पी.ए. को क्षेत्र के आधार कुछ जिलों में लागू कर सकते हैं और कुछ जिलों में नहीं? उन्होंने कहा क्यों नहीं। अब एक बार फिर मेरे पास व्यक्तिगत रूप से उन्ही एजेंसी से कुछ अधिकारी मिलने आ गए। उनको क्षेत्र का अनुभव था, उन्होंने कहा कि मान लीजिए आतंकियों की घुसपैठ होती है और हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वे अनंतनाग से चलते-चलते श्रीनगर तक पहुच जाते हैं, हम उनके पीछे-पीछे चलते हैं। जैसे ही श्रीनगर जिला शुरु होगा हम रुक जायेंगे। क्योंकि इस लाईन के बाद हमारे पास सुरक्षा नहीं है और इसलिए वहां की पुलिस या कोर्ट ही इसका समाधान करेगी। क्या यह संभव है, वह भी ऐसे राज्य में जहां तनावपूर्ण स्थिति हो। जहां सीमापार से आतंकवादी सीमा के अंदर घुसपैठ करते हैं, वे एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश कर जाते हैं और वहां लागू अधिनियम को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। हम दो जिलों के बीच भौगोलिक सीमा का निर्धारण तो कर सकते हैं। जहां सीमित कानून की वजह से प्रत्येक जिले का क्षेत्राधिकार सीमित कर दिया जाता है। लेकिन हमें आतंकवादियों की गतिविधि को भौगोलिक सीमा के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। इस पर मैंने फिर उनसे कहा कि आप इस समस्या के समाधान के लिए क्या सुझाव दे रहे हैं। जब इस तरह के समाधान हेतु सुझाव आते हैं, तो वे लगभग एक ही समान होते

हैं, यह सारी बहस हुई है। उनका राजनीतिक दृष्टि से भी समाप्ति हुई और कई बार उन्होंने जैसा अरुण जी ने कहा कि हिन्दू-मुस्लिम मुद्दे के साथ, सेक्युलर और नानसेक्युलर मुद्दे के साथ इसको जोड़ दिया। यह जितने प्रावधाान आए जिसको मैं कहता हूं-''एंटी डाटर प्रोविजन इन द वैली'' (Anti Daughter Provison in the Valley) आप ने कहा एंटी ओ.बी.सी., एंटी सेड्यूल कास्ट, एंटी ट्राईब अधिनियम। ये सारे पैदा हुए क्योंकि 370 के तहत 35 शासन ट्रिमेक सत्ता द्वारा डालने का मौका मिल गया। अब 370 के ऊपर एक ऐतिहासिक मूल्यांकन हो और उसमें यह देखा जाएं कि 370 का लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है, और हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारी पार्टी का कोई नेता जब यह कहता है कि इसका आंकलन कर लो तो हमारे मीडिया के मित्र कहते हैं कि अनुच्छेद 370 पर भाजपा का रुख नरम है और वे लोग पुर्नमूल्यांकन के लिए तैयार है, इसका उत्तर एक ही दिशा में है कि इसका असर क्या हुआ है? कभी न कभी तो यह प्रावधाान जायेगा। अब जाने के लिए वैधानिक जटिलता इतनी हैं कि आर्टिकल 368 पर संविधान द्वारा संशोधन का जो अधिकार है उस पर भी रोक लगा दी गयी है।

अब राजनीतिक सोच पर निर्भर करता है, कायदे से इसमें बदलाव हो, उसमें से जो हटाना है उसे हटाया जाए और अस्थिरता समाप्त हो। दुर्भाग्य से जब तक यह रहे, दुर्भाग्य से इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, आज इसके प्रभाव को कम करने का एक लचीला तरीका सरकार के पास है। इसके प्रभाव को कम करने का यह संभव है कि इसे कमजोर करके विलुप्त कर दिया जाए और उसका जवाब आर्टिकल 35ए, कभी न कभी जिस तरीके से आया था उसी तरीके से अगर बाहर चला जाता है अनुच्छेद 370 के प्रभाव का बड़ा हिस्सा

कमजोर होकर खुद विलुप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि अंततः इसको समाप्त होना चाहिए, इसके प्रभाव को अपने-आप में कम करना चाहिए और इसकी वजह से जो अलगाव की सोच पैदा हई है, जिसकी वजह से सारे संविधान से परे हमें ट्रैक-2 पर समाधान दिखाई दे रहे थे, या आजादी आ जाये या इसका समाधान हम लोग ढूंढ लें, ये सारी की सारी बहस अपने आप में समाप्त हो। किसी भी सरकार के पास यह अधिकार नहीं होता कि देश की संप्रभुता के साथ समझौता करें। सरकार संविधान की रचना है, उसके क्षेत्राधिकार सीमित हैं। किसी की सरकार को चुनाव में मिले, जनादेश के आधार पर देश की संप्रभुता के साथ किसी प्रकार समझौता नहीं कर सकता।

इसलिए इसके मापदंडों के ऊपर चर्चा होती रहे, जो आप ने कहा लेकिन कम से कम इसका नुकसान कितना हुआ है, देश के अन्दर इसकी एक समझ, सोच और एक साधन ऐसा बने, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने की मांग हम अकेले करते हैं और ऐसा करने पर हमें पृथक कर दिया जाता है। मैं मानता हूं कि यह पृथककरण हमारे लिए एक विशाल पृथककरण है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की जनता का एक बड़ा धड़ा इस विषय पर हमारे साथ है।

धन्यवाद।

श्रीनगर (1952) में बाएं से दाएं शेख अब्दुल्ला, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बख्शी गुलाम मोहम्मद

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और शेख अब्दुल्ला

अनुच्छेद 370 : जम्मू-कश्मीर के लिए कोई विशेष दर्जा या शक्ति नहीं

- श्री अरुण कुमार

श्री जवाहर लाल जी कौल, श्री अरुण जेटली जी, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, श्री सुनील सेठी जी एवं आज के सभागार में उपस्थित सम्मानित श्रोतागण, बहनों एवं माताओं, सर्वप्रथम डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान को हार्दिक धन्यवाद, जिसने जम्मू-कश्मीर के विषय पर सुनने के लिए आप जैसे बंधुओं को आमंत्रित भी किया और एकत्र करने में सफल भी हुए। आज से कुछ समय पहले की बात है एक-दो वर्ष पहले मैं एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में गया था, वहां के निदेशक साहब से मिला। मैंने उनको अपना परिचय कराया जम्मू-कश्मीर अध्ययन केन्द्र के निदेशक के नाते और मैंने उनसे सवाल किया कि यहां अनुच्छेद 370 कौन पढ़ाता है, मैं उनसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत जोरदार उत्तर देते हुए कहा कि-यह हमारा एक शैक्षणिक संस्थान है, यहां हम राजनीति पर चर्चा नहीं करते । मेरे सामने बड़ा संकट था। अब उनको क्या कहना है- वे सम्मानित व्यक्ति थे, संविधान व विधि के जानकार थे, लॉ स्कूल के निदेशक थे। यह भी नहीं कह सकता था कि आप ने अनुच्छेद 370 पढ़ा है कि नहीं। उसमें 3 खंड है और 425 शब्द हैं। मैं सबको कहता हूं कि पढ़ो और बताओ कि इसमें राजनीति कहां है। संविधान स्वयं में ही एक राजनितिक प्रक्रिया की परिणति है। 370 के साथ एक बड़ी समस्या होती है। 370 कहते ही-विवाद, राजनीति, भाजपा-कांग्रेस, हिन्दू-मुसलमान यह सब शुरु हो जाता है, इसलिए मैं सबको कहता हूं कि 370 पर जब भी कोई चर्चा हो तो पूर्व धारणाओं से पूर्णतया मुक्त हो कर बैठिए। एक बार जो सब कुछ पढ़ा है उसको एक तरफ रखिए।

अनुच्छेद 370 से पहले उसकी उत्पत्ति पर आइए। जम्मू-कश्मीर को लेकर बहुत से लोग मुझसे बातें करते हैं कि जम्मू-कश्मीर के संबंध में वास्तविक समस्या क्या है। क्या यह कट्टरवाद की, या अलगाववाद की या सीमा पार से आए आतंकवाद की समस्या है? मैं सब लोगों से कहता हूं कि यह सब बातें ठीक हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर का वास्तविक प्रश्न कुछ और ही है-जम्मू-कश्मीर के विषय में मूलतः जानकारी की समस्या है। जम्मू-कश्मीर में गलत सूचना और भारत के अन्य भागों में सूचना की कमी के कारण हमेशा गलत धारणा बनती है, जिसके परिणामस्वरूप गलत नीतियां बनती है और जब नीतियां गलत होती हैं तो उसका सही उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ भी अच्छा करना है तो आपको देश के अन्दर जानकारी के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी । जम्मू कश्मीर एवं अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर मेरा पिछले दो ढाई वर्षों में देश के भिन्न-भिन्न विशिष्ट महानुभावों से मिलना हुआ है। मैं जैसे-जैसे नए-नए लोगों से मिलते जा रहा हूं, वैसे-वैसे मेरा निष्कर्ष और दृढ़ होता जा रहा है। इसलिए हमारे यहां अध्ययन केंद्र ने जब अपनी पहली पुस्तक छापी, उसका नाम हमने रखा-Jammu & Kashmir Affairs::Mishandled : Misquoted : Miscarried.

मूलतः जम्मू कश्मीर को लेकर तीन मिथक है। पहला, जम्मू कश्मीर एक अलगाववादी राज्य है। जम्मू कश्मीर के लोग भारत में रहना नहीं चाहते हैं। वहां के अधिकांश लोग अलगाववादी विचार के समर्थक हैं, जो भारत के साथ रहना नहीं चाहते। यह एक गलत धारणा है और उसका कारण यह है अधिकांश लोग जम्मू कश्मीर को ठीक से समझते नहीं हैं। जब अफजल गुरू को फांसी हुई थी उस समय देश के एक बड़े मीडियाकर्मी से मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि अरुण जी हालात बहुत खराब है, राज्य हाथ से निकल जायेगा। मैंने उनसे

पूछा क्यों? उन्होंने जवाब दिया देखिए ना क्या चल रहा है सब। मैंने उनसे कहा कि कारगिल में 90 प्रतिशत मुसलमान हैं, एक भी दिन क्या वहां पर कोई प्रदर्शन, कोई बंद, कोई कर्फ्यू हुआ। 90 प्रतिशत मुसलमान हैं पुंछ जिले में, 70 प्रतिशत मुसलमानों की जनसंख्या राजौरी जिले में, एक भी दिन वहां पर कोई प्रदर्शन, कोई बंद, कोई कर्फ्यू नहीं, एक प्रदर्शन तक अफजल गुरु की फाँसी के खिलाफ नहीं हुआ। आप जम्मू कश्मीर को समझते हैं क्या? राज्य के अधिकांश लोग, अधिकतर क्षेत्रों में राष्ट्रवादी लोग हैं। जम्मू-कश्मीर में पिछले 64-65 वर्षों में राष्ट्रवाद और अलगाववाद की एक लड़ाई चल रही है लेकिन दुर्भाग्य से भारत के अधिकांश लोग जम्मू-कश्मीर की राष्ट्रवादी शक्तियों को जानते नहीं हैं।

दूसरी बात जो समझने की है, हर एक के मन में विवाद की गलतफहमी बनी हुई है। जम्मू-कश्मीर कहते ही विवाद। जम्मू-कश्मीर विवाद नहीं है, वहां विवाद के नाम पर भ्रम है, जनमत संग्रह पर भ्रम है। मैं बहुत बार कहता हूं कि दुनिया के किसी भी फोरम पर पाकिस्तान ने संवैधानिक रूप से जम्मू कश्मीर पर दावा नहीं किया। कानूनी रुप से और संवैधानिक रुप से वह ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा संभव ही नहीं है। जिस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अन्तर्गत पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उसमें जम्मू-कश्मीर के राजा को निर्णय हेतु एक अधिकार प्राप्त हुआ जो उनका विशेषाधिकार था। उसका उपयोग कर विलय पत्र (Instrument Of Accession) पर हस्ताक्षर करते ही जम्मू कश्मीर भारत का अंग हो गया।

भारत के संविधान निर्माण हेतु बनी संविधान सभा में जम्मू-कश्मीर के 4 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 25 नवंबर 1949 को डा. कर्ण सिंह ने घोषणा कर भारत के संविधान को स्वीकार किया। 26 जनवरी को लागू भारतीय संविधान के

अनुच्छेद 1 के अन्दर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 15वें नंबर का राज्य जम्मू-कश्मीर है। अगर जम्मू कश्मीर के संविधान को हमें समझना हो तो 26 जनवरी 1957 में जम्मू कश्मीर का जब नया संविधान लागू हुआ उसकी प्रस्तावना के पहली पंक्ति में ही लिखा है कि "We, the people of the State of Jammu and Kashmir, having solemnly resolved, in pursuance of accession of this State to India which took place on the twenty-sixth day of October, 1947, to further define the existing relationship of the State with the Union of India as an integral part thereof". एकदम स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के संविधान में अनुभाग 3 भी यही कहता है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा (Jammu Kashmir is and shall be an Integral Part of India)"। उसी का अनुभाग-5 स्पष्ट कहता है कि- "The executive and legislative power of the State extends to all matters except those with respect to which Parliament has power to make laws for the State under the provisions of the Constitution of India". जिसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संसद सर्वोच्च है।

जम्मू कश्मीर के संविधान का अनुभाग 147 कहता है-"No bill or amendment seeking to make any changes in this section 147, section 3 and 5, all provision of the constitution of the India as applicable in relation to the state shall be introduced or in either house of the legislature", लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे दिलीप पड़गाँवकर साहब अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि 1952 के बाद जितने भी प्रावधानों का विस्तार हुआ हैं उनकी समीक्षा कर ली जाय। उनसे जब मेरी बात हई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जम्मू-कश्मीर का संविधान पढ़ा

है क्या? प्रावधानों में किये गए विस्तार की समीक्षा की जा सकती है क्या? दुर्भाग्य से जम्मू-कश्मीर की कानूनी और संवैधानिक स्थिति को कोई समझने का प्रयास नही करता है। अगर 2014 के अंदर जम्मू-कश्मीर को समझना हैं तो जम्मू-कश्मीर की सारी बहस को हमे कहानियों से निकाल कर संवैधानिक एवं विधि सम्मत दस्तावेजों तक ही सीमित करना होगा।

जम्मू-कश्मीर को लेकर इसलिए हमने जो दूसरी पुस्तक प्रकाशित की है वह है- "Legal Documents on Jammu and Kashmir"- हम हर एक को कहते हैं इसे पढें और इसके आधार पर बहस करें। फिर आप बताएं कि विवाद कहां है। जम्मू कश्मीर को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, यह सबके ध्यान में रहना चाहिए।

तीसरा एक जो सबसे बड़ा भ्रम है सबके मन में कि अनुच्छेद 370 राज्य को विशेष दर्जा या स्वायत्तता को दर्शाता है। मुझे पड़गाँवकर साहब का दोबारा नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि, मेरी उनसे इस विषय पर बड़ी लम्बी बातचीत हई और बाद में उसका उन्होंने जिक्र भी किया। मैंने उनसे सवाल किया कि आपका कहना है कि हमने कुछ वादा किया है, हमने अपने संविधान में जम्मू-कश्मीर को कुछ विशेष दर्जा दिया है। इतने में पड़गांवकर साहब ने कहा कि हमने उनको केवल विशेष ही नहीं बल्कि अद्वितीय दर्जा दिया है। यह जो मानसिकता सबके मन में घर कर गया है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष और अद्वितीय दर्जा दिया गया है।

इससे हमें बाहर आने की जरुरत है। मैंने उनसे फिर पूछा कि यह अनुच्छेद 370 है, यह Instrument of Accession है, आप बताइए कि इसमें कहाॅं विशेष दर्जा के लिए कुछ लिखा है? इस पर पडगांवकर साहब बोले अधिमिलन

पत्र तथा 1952 में हुए दिल्ली समझौते के तहत हमने जम्मू-कश्मीर को स्वायत्तता दी है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई यह सुनकर उन जैसे व्यक्ति से, मैंने उनसे प्रश्न किया - क्या अनुच्छेद 370 एक कानूनी दस्तावेज है? अधिमिलन पत्र कानूनी दस्तावेज है? क्या दिल्ली समझौता कानूनी दस्तावेज है? दिल्ली समझौता केवल दो राजनीतिज्ञों की आपसी समझ थी, वे दोनों कोई कानूनी संस्थान नहीं थे उस समय। इसलिए वे कोई हस्ताक्षरित दस्तावेज नहीं बना सकते थे। दो नेताओं ने घर में फैसले कर लिए और उन फैसलों को सारे देश पर थोप दिया और आप उसको कह रहे हैं कि-यह स्वतंत्रता का भाग है जो हमने उन्हें दिया है और उसे कानूनी दर्जा भी दे रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर को लेकर बहुत सालों से बहुत सारी बातें कहानियों में चलती जा रही हैं, जब विधि एवं संवैधानिक दस्तावेजों की बात चलती है तो शेख अब्दुल्ला और नेहरु के भाषण सामने आ जाते हैं। क्या ये भाषण भी कभी कानूनी दस्तावेज होते हैं? दिल्ली समझौता (Delhi Accord) नेहरु और शेख ने बैठकर समझौता कर लिया, कोई लिखित समझौता नहीं किया। एक अनुच्छेद 370 को आपने अपने बहुमत के बल पर संसद के अंदर प्रस्ताव कर स्वीकृत करा लिया। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एन.सी. चटर्जी ने इस विषय पर बहुत जबरदस्त बहस की और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के नाम पर यह सब असंवैधानिक कार्य आप कर रहे हैं। यह संभव नहीं हो सकता है जब उनकी किसी बात का कोई उत्तर नहीं दे सके तब नेहरु जी ने बौखला कर कहा कि शक्ति संविधान में निहित नहीं हैं, शक्ति लोगों की इच्छाओं में निहित है और इसलिए जब लोग कुछ चाहते हैं तो उनकी इच्छाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। नेहरु जी के लिए जम्मू-कश्मीर के लोग यानी शेख अब्दुल्ला थे, जिसे वे लोगों की इच्छा कह रहे थे। उस समय 75 लोगों की संविधाान सभा बनी

जिसमें से 72 लोग निर्विरोध चुने गए थे। शेख अब्दुल्ला में चुनाव का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। दुनिया को पता लग जाता कि वे कभी भी जम्मू और लद्दाख के नेता नहीं थे। शेख अब्दुल्ला उस राज्य के मात्र एक क्षेत्र के नेता थे। इसलिए विपक्ष के सारे नामांकनो को ही रद्द कर दिया गया। 75 के 75 एम.एल.ए. संविधान सभा में उनके आ गए और उनसे वह अपनी मर्जी से कुछ भी करा सकते थे। तब डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरु जी से कहा कि क्या आप बहुमत के द्वारा सत्य को दबा सकते हैं ? अब हमारे पास जनता के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है क्योंकि संसदीय लोकतंत्र के अंदर नेहरु जी के अनुसार सामान्य लोगों की इच्छा ही महत्वपूर्ण थी। संसद में अपने बहुमत के बल पर क्रूरतापूर्वक संविधान, सत्य और देश की भावनाओं का गला घोट दिया गया। अब उन के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए डा. मुखर्जी सारे देश में गए और 11 मई को जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करते हुए उन्होंने कहा कि विधान लेंगे या प्राण देंगे। उनके प्राण देने के बाद ही से विधान लेने की शुरुआत तो हुई, लेकिन वह कहीं बीच में जाकर रुक गयी। इस प्रक्रिया को पुनः प्रारम्भ करने की आवश्कयता है। मेरा यह मानना है कि देश के अंदर पहले 15 सालों में जम्मू-कश्मीर व अनुच्छेद 370 को लेकर भ्रम नहीं था। धीरे-धीर भ्रम बढता जा रहा है। मेरे पास 1964 की संसदीय बहस की प्रति है, 27 सांसदों ने उस बहस में भाग लिया था। कांग्रेस के 17 सांसद उस बहस में शामिल थे, 5 सांसद जम्मू-कश्मीर के थे। डा. राममनोहर लोहिया, मधु लिमये, सरजू पांडे, एस.एम. बैनर्जी, के. हनुमंथैय्या, भगवत झा आजाद का भाषण हुआ उस बहस के अंदर। सब लोगों ने अनुच्छेद 370 को हटाने की बात कही। प्रकाशवीर शास्त्री का वह प्राईवेट मेंबर बिल था। पूरी संसद एकमत थी, ढाई महीने वह बहस चली, तीन बार बहस हुई, साढ़े दस घंटे से ज्यादा वह बहस चली। सभी ने स्पष्ट रुप से 370

की अस्थाई प्रकृति एवं उसके दुष्परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब इसे हटा देना चाहिए। 15 साल हो गए। 370 एक अस्थायी प्रावधान था। लेकिन उस समय गुलजारीलाल नंदा ने उत्तर में कहा कि मैं आप की भावनाओ से सहमत हूॅ। पर यह प्राइवेट मेम्बर बिल है, संविधान संशोधन की बात है। इसको दूसरे तरीके से लाना पड़ेगा। सभी सांसद नाराज हो गए। उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि संसद सर्वोच्च है तो आप करते क्यों नहीं है। तब गुलजारीलाल नंदा ने कहा कि शीघ्र करेंगे। इस पर प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में पूरे राष्ट्र के लिए आज का दिन दुर्भाग्यशाली माना जायेगा। जब पूरी संसद दलगत राजनीति से हटकर इस एक विषय पर एकमत थी। इतिहास में ऐसे अवसर बहुत कम आये हैं। हमको तकनीकी बातों से बाहर आना चाहिए, लेकिन उस दिन सरकार मानी नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे सरकार की यह नीति मंजूर नहीं है। मैं इस विषय पर मतदान कराए जाने की मांग करता हूॅ। कांग्रेस ने तुरंत विह्प जारी किया और संसद में मतदान हुआ। 370 हटाये जाने के समर्थन में मतदान करने वालों में डा. राममनोहर लोहिया थे, मधु लिमये थे, हिरेन मुखर्जी थे, सरजू पांडे थे, एस.एम. बनर्जी थे, कांग्रेस को छोड़ सब सांसद थे। देश के अंदर 370 और जम्मू-कश्मीर के अंदर सब विषयों को लेकर एक बार फिर से आम सहमति खड़ी करने की आवश्यकता है। इसके लिए काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए आप सब लोगों का इस दृष्टि में यहॉं आना बड़ा महत्वपूर्ण है।

अनुच्छेद 370 को लेकर मुख्यतः तीन बातें समझने की जरुरत है। वास्तव में अनुछेद 370 कोई विशेष दर्जा या शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 370 वास्तव में एक प्रक्रिया है। जो मात्र एक अंतरिम व्यवस्था थी। इसके लिए अपने को संविधान सभा की बहस के अंदर गहराई में जाना पड़ेगा, जिससे सब बातें धयान में

आयेंगी। केवल एक बात समझने की जरुरत है। जब भारत के अंदर संविधान निर्माण का काम प्रारंभ हुआ तब अधिमिलन के बाद प्रधानों की बातचीत समिति और संविधानसभा का मसौदा समिति और Drafting committee of Constituent Assembly की बैठक हुई जिसमें तीन बातें तय हुईं। पहला-भारत एक संघीय व्यवस्था में रहेगा, दूसरा-सभी राज्य संविधान बनाने की प्रक्रिया में भाग लेंगे और तीसरा -सभी राज्यों का स्वंय का संविधान भी होगा।

कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि जम्मू-कश्मीर में संविधान सभा क्यों बनीं। यह सभी राज्यों में बनी। भारतीय संविधान में उनको पार्ट बी स्टेट कहा गया। इन सभी की संविधान सभा बनी थी, 1956 तक हर राज्य का अपना संविधान था। यह ठीक है कि आम सहमति से पार्ट बी स्टेट के संविधान का अनुच्छेद 211ए और (बाद में अनुच्छेद 238 को भारतीय संविधान का ही भाग बना दिया) अनुच्छेद 238 को समाविष्ट करके संविधान की मुख्य धारा में शामिल किया गया।

वास्तव में यह तय हुआ था कि हर राज्य की संविधान सभा बनेगी और वह तीन काम करेगी। पहला-अधिमिलन का सत्यापन करेगी, दूसरा-राज्यों में संघ के संविधान विस्तार और तीसरा-वे अपना खुद संविधान बनाएंगे। वास्तव में यही से अनुच्छेद 370 का प्रारम्भ हुआ। 18 अक्टूबर को संविधान सभा में सारी चर्चा हुई। आखिरी दिन केवल प्रस्तावना पर बहस हुई। 17 अक्टूबर को अनुच्छेद 370 पर बहस हुई। वास्तव में वो जो आखिरी चर्चा हुई वह 306ए के ऊपर ही थी। ऐसा क्यों हुआ? उस समय समस्या यह थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर युद्ध चल रहा था, परिस्थितियां विशेष थीं, जम्मू कश्मीर में संविधान सभा बन नहीं सकती थी तो भारत के संविधान का राज्य में विस्तार कौन करेगा ? तीन राज्यों में

संवैधानिक सभा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, मैसूर, सौराष्ट्र और कोचीन। त्रवणकोर और अन्य राज्यों की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा बननी कब शुरु होगी यह किसी को मालूम नहीं था। भारत के संविधान को बढ़ाया कैसे जायेगा । यह किसी को स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस प्रारूप को लाने की जरुरत पड़ी।

गोपाला स्वामी अय्यंगर ने कहाः Due to the special condition of Kashmir, it is not possible to achieve the integration for various reasons this is not possible now .

....There has been a war going on within the limits, a cease-fire agreed to at the beginning of this year. Part of the State is still unusual. We are entangled with United Nations in regard to Jammu and Kashmir and it is not possible to say now when we shall be free from this entanglement. That can take place only when the Kashmir problem is satisfactorily solved.

उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि- "We have therefore to deal with the Government of the State which, as represented in its council of ministers, reflects the opinion of the largest political party. Till a constituent assembly comes into being, only an interim arrangement is possible and not an arrangement which could at once be brought into line with the arrangements that exist in case of the other States. Article 370, that was only an interim arrangement."

अनुच्छेद के टाईटल में स्पष्ट लिखा था कि Temporary provision for the state of Jammu and Kashmir. किसी ने सवाल किया कि क्या यह स्थिति हमेशा रहेगी उन्होंने स्पष्ट कहा- "We have said, Article

211A (Further an Article 238) will not apply to Jammu and Kashmir State but that cannot be a permanent feature of the constitution of the state and hope it would not be.

So, the provision is made that when the Constituent Assembly of the State has met and taken its decision both on the Constitution for the State and on the range of federal jurisdiction over the State, the President may, on the recommendation of that Constituent Assembly, issue an Order that this Article 306 shall either cease to be operative, or shall be operative only subject to such exceptions and modifications as may be specified by him". इसलिए हमें स्पष्ट रहना चाहिए कि 370 कोई बाध्यता नहीं थी। भारतीय संविधान को लागू करने की जो प्रक्रिया शेष राज्यों में या तो पूरी हो चुकी थी, या हो रही थी, वह जम्मू-कश्मीर में सम्भव नहीं थी। जम्मू-कश्मीर में भी संविधान सभा बनी, उसमे विलय का अनुमोदन भी हुआ। वास्तव में 306ए के प्रारूप को ही 370 में बदल दिया गया, जो मात्र एक अस्थायी व्यवस्था की गई थी जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए । इसकी खण्ड 3 में पुनः यह स्पष्ट किया गया कि इसको हटाने के लिए संसद में भी आने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अनुच्छेद 370 कोई विशेष दर्जा नहीं देता, फिर समस्या कहां खड़ी हुई ? समस्या तब शुरु हुई जब आपने उसकी व्याख्या दिल्ली समझौते के द्वार 1952 में करनी प्रारम्भ की, और उसे पूरा करने के लिए संवैधानिक आदेश 1954 जारी किया । राष्ट्रपति महोदय ने अनुच्छेद 370-1 (बी) के अन्तर्गत जो प्रक्रिया निश्चित हुई अर्थात राज्य सरकार की सहमति, वह आदेश लागू किया वास्तव में यहीं से ये सब समस्या होनी शुरू हुई ।

मूल रूप से अनुच्छेद 370 की आड़ में राजनीतिक धोखाधड़ी और

संवैधानिक दुरुपयोग किया गया है । आदेश के द्वारा जो धोखाधड़ी हुई जम्मू कश्मीर में या जिसकी पूरे भारत में निहितार्थ है, उसके प्रति देश को जागरुक करने की जरुरत है। 370 को लेकर यह बात सबके मन में स्पष्ट रहनी चाहिए। अनुच्छेद 370 कोई दर्जा नहीं है, यह केवल एक प्रक्रियात्मक तंत्र था। इसके साथ पूरे देश में यह बहस खड़ी करनी है कि है कि इस 370 ने दिया क्या है, इसके परिणाम क्या रहे है जिसको लेकर मुझसे पूर्व के दो वक्ताओं ने काफी विस्तृत चर्चा की है।

अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों के खिलाफ है। आज देश की सारी बहस एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., महिला, अल्पसंख्यक-इनके अंतर्गत चलती हैं। जम्मू कश्मीर में 1991 तक एस.टी.को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण नहीं था। राजनीतिक आरक्षण आज भी राज्य में नहीं है जबकि 14 प्रतिशत एस. टी. हैं। पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया – उत्तर प्रदेश के अंदर 1 प्रतिशत एस.टी. है, निर्णय में माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि 1 प्रतिशत एस.टी. होने के बाद भी राज्य सरकार ने इन्हें राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया। लेकिन अगले चुनाव से पहले देना पड़ेगा । अभी वहां विधानसभा की 2 सीटों को एस.टी. के लिए आरक्षित करना पड़ा और जम्मू-कश्मीर में 14 प्रतिशत एस. टी. होते हुए भी उन्हें वहां राजनीतिक आरक्षण नहीं है। साधारण प्रशासनिक आदेश के द्वारा उन्होंने कश्मीर घाटी के अंदर अनुसूचित जाति को 50 साल तक डिस्ट्रिक और डिविजन पोस्ट के कैडर की नौकरियों पर आरक्षण नहीं दिया।

2005 में हमने हाईकोर्ट में केस जीता, फिर वे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हमने केस जीता, उसके बाद पहली बार वहां पर कश्मीर घाटी के अन्दर, जिला एवं संभाग श्रेणी की नौकरियों में एस.सी.

आरक्षण शुरू हुआ। उन्होंने विधाान सभा में 2009 में बिल लाकर फिर से इसे रोकने की कोशिश की, परन्तु जनता में आंदोलन खड़ा हो गया, जिसके दबाव में उन्हें झुकना पड़ा । जम्मू-कश्मीर की बेटियों की चर्चा करता हूं। एक बेटी की उत्तराखंड में शादी हो गयी, पति सेना में था, वह सैनिक जम्मू-कश्मीर में ही शहीद हो गया। उनके तीन बच्चे थे, जिन्दगी का एक दुर्भाग्य हुआ कि वह विधवा हुई। छोटे-छोटे बच्चे थे, कहां आना था, अपने माता-पिता के पास आ गई । आने के कुछ समय के पश्चात उसको जानकारी मिली कि, वह तो राज्य में रह सकती है, लेकिन उसके बच्चों को सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property) नहीं है, उनको व्यावसायिक उच्च शिक्षा नहीं मिल सकती। उनको वहां राज्य सरकार की नौकरी नहीं मिल सकती। वे वहां के स्थायी निवासी नहीं बन पाएंगे। क्या भारत की श्रेष्ठ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के रहते क्या आज के समय यह सब हो सकता, क्या यह संभव है। जम्मू-कश्मीर के अन्दर एस.सी., एस.टी. महिलाओं की स्थिति क्या है। ओ.बी.सी. को आज तक आरक्षण नहीं है। वहां पर आज तक ओ.बी.सी. की गिनती ही नहीं हुई। देश का लोकतंत्र पिछले 20 सालों में एक नए दौर के अन्दर प्रवेश कर गया है। सशक्तिकरण की बातें होती हैं, लोगों की भागीदारी अधिकार की बात होती हैं, जवाबदेही का अधिकार की बात चल रही है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के अंदर आते ही सब बातें रुक जाती है। 73वां, 74वां संशोधन राज्य में आज तक लागू नहीं हुआ। 60 वर्ष में केवल पांच बार पंचायत का चुनाव हुआ है। नगरपालिकाएं भंग है। पिछले 4 साल से म्युनिसिपल्टी के चुनाव नहीं हो रहे हैं। कारण कुछ नहीं है। बार-बार उमर अब्दुल्ला कहेंगे कि परिस्थितियां सुधर गयी हैं। इसलिए अफस्पा हटा दीजिए। जब परिस्थिति सुधर गयी है तो आप स्थानीय निकायों का चुनाव क्यों नहीं कराते। अनुच्छेद 370 ने लाभ दिया है तो केवल जम्मू-कश्मीर के कुछ परिवारों

को ही मिला है। एक अजीब तरह का लोकतंत्र है। मनमर्जी का लोकतंत्र वहां चलता है, उनके लिए जो सुविधाजनक एवं उपयोगी है, वे उसे ही मात्र करते हैं। 42वें संशोधन से देशभर में विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष हो गया, जम्मू-कश्मीर में भी वे कार्यकाल 6 वर्ष कर लेते हैं। उसके बाद 44वें संशोधन में पुनः 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित हो गया, पर वे लागू नहीं करते। दल बदल पर सदस्यता समाप्ति अधिनियम के बारे में आप सुनकर हैरान होंगे कि सदस्यता समाप्त करने का अधिकार उस पार्टी के नेता का है, न कि अन्य राज्यों की तरह विधानसभा के स्पीकर को। नेहरू जी बार-बार कहते थे कि शेख अब्दुल्ला बहुत क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने देश में सबसे पहले भूमि की जम्मू-कश्मीर में हदबंदी करनी शुरू कर दी, जो देश के अन्य हिस्सों में कहीं प्रारंभ नहीं हुआ था। गांवों के अन्दर अतिरिक्त भूमि को बांट दिया गया। परन्तु शहरी भूमि सीलिंग अधिनियम (Urban Land Ceiling Act) आज तक लागू नहीं हुआ क्यों? क्योंकि नेताओं को यह लाभान्वित करता है। एक-एक नेता अलग-अलग शहरों के अन्दर सरकारी सम्पत्ति को अपने नाम कराता है, बाद में उसे अच्छे और महंगे दामों पर बेचता है, यहां लोकतंत्र कहां है? जम्मू-कश्मीर के अन्दर तो मात्र सुविधा का लोकतंत्र है।

गुज्जर समाज के एक विद्वान नेता डा. जावेद राही जम्मू-कश्मीर में पुंछ से हैं, वे शोधार्थी, इतिहासकार और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक हैं, जिनका मानना है कि-"हम लोग अनुच्छेद 370 के खिलाफ नहीं है, अनुच्छेद 370 हमारे खिलाफ है।" वास्तव में सत्य यही है कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के लोगों के खिलाफ है। अनुच्छेद 370 ने देश के लोगों के बीच भेदभाव उत्पन्न किया है।

देश में दो तरह के लोग हो गए हैं-एक भारत के वे नागरिक जो

जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी है और दूसरे भारत के वे नागरिक हैं, जो जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी नहीं है और हैरानगी की बात यह है कि वह भी उस अनुच्छेद 35ए के अन्तर्गत जिसको आज तक संविधान के मुख्य भाग में नहीं जोड़ा गया जो अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं है। बहुत सारी कानून की पुस्तकों में जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में (Provisions of Union Constitution applicable to the State of Jammu- Kashmir) से संबन्धित Apendix को छापा ही नहीं जाता । इसलिए यह विषय लोगों के ध्यान में ही नहीं आया इतने सालों तक। अनुच्छेद 370 ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। देश के अन्दर उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या अनुच्छेद 370 के अर्न्तगत संसद की शक्ति को सीमित किया जा सकता है? क्या यह संभव है कि भारतीय संविधान में साधारण प्रशासनिक संशोधनों से नए अनुच्छेद डाले जा सकते हैं? इन सारे विषयों पर देश के अन्दर बहस चलाने की जरूरत है। जिन विषयों को लेकर आज देश के अन्दर एक बहस प्रारंभ हुई है, जिसमें डा.श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान ने अपनी एक भूमिका अदा की है।

संवैधानिक आदेश (C.O 1954) में कहा गया है कि अनुच्छेद 35 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ें, अर्थात्:-35ए। (After article 35, the following new article shall be added, namely "35A”.) क्या बिना संसदीय प्रक्रिया के एक नया अनुच्छेद जोड़ा जा सकता है । इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा स्थायी निवासी की परिभाषा निश्चित कर उनके विशेष अधिकार सुनिश्चित करे तथा शेष लोगों के नागरिक अधिकारों को सीमित करें। (Conferring on such permanent residents any special rights and privileges or imposing upon other persons any restrictions.)

क्या देश के नागरिकों पर यह प्रतिबंध लगाया जा सकता है?

ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, जिनके ऊपर देश के अन्दर बहस करने की जरूरत है। अनुच्छेद 368 से संसद की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया। संविधान में संशोधन कर जम्मू-कश्मीर के लिए 368 के साथ एक अन्य शर्त जोड़ दी गई। उसमें कहा कि-परन्तु यह और कि कोई संशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में तभी प्रभावी होगा जब वह अनुच्छेद 370 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू किया गया हो। (Provided further that no such amendment shall have effect in relation to the State of Jammu and Kashmir unless applied by order of the President under clause (1) of article 370).

एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात पूर्ण करूंगा। जब पूरे देश में इस पर बहस चल रही थी, देश के प्रबुद्ध लोग क्या जागरूक नहीं थे, सहमत नहीं थे वास्तव में देशभर के अधिकांश लोगों में एकमतता थी कि जो कुछ हो रहा है वह गलत हो रहा है। हमारे राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने पं नेहरू को एक पत्र लिखा-उस पत्र के अंदर उन्होंने अनुच्छेद 370 पर स्पष्ट रूप से कहा कि-Parliament could never intended that such an extra ordinary power of amending the constitution by executive order was to be enjoyed without any limitation, as to the number of times on which it could be exercised or as to the period within which it was exercisable or as to the scope and extent of the modifications & exceptions that could be made. It cannot be seriously maintained that for all time to come the application of our constitution to Jammu & Kashmir would derive its authority from Articles 370, to the complete exclusion of Parliament. The marginal note to Article 370 itself describes the nature of the Article as

"Temporary Provision with respect to the state of Jammu & Kashmir."

डा. राजेन्द्र प्रसाद सहमत नहीं थे, लेकिन उन्हें संवैधानिक आदेश देना पड़ा। देश के अन्दर जम्मू-कश्मीर और अनुच्छेद 370 को लेकर शायद लोगों में कुछ भ्रांतियां बैठ गई उसके कारण से सत्य की अनदेखी की गई है और गलत बातों से भी समझौता किया गया राष्ट्रपति सहमत नहीं है पर आदेश करना पड़ता है। एक अन्य पीड़ादायी घटना घटी, प्रश्न उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट की पूर्व संवैधानिक पीठ के अन्दर पूरनचन्द लखन पाल का एक केस जो दिल्ली के रहने वाले हैं, कहते हैं कि 1967 तक जम्मू-कश्मीर के अन्दर, लोकसभा का सीधे चुनाव नहीं होता था, विधानसभा सदस्यों के द्वारा ही निर्वाचित होकर सीधे लोकसभा में आते थे जैसे राज्यसभा में होता है। वे सुप्रीमकोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि मुझे देश में कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन इस संवैधानिक आदेश के कारण से मेरा यह अधिकार सीमित हो गया। अपवाद और संशोधन के नाम पर क्या आप अपने संविधान के मूलरूप को बदल सकते हैं ? लोकसभा के प्रतिनिधि को आप बदल सकते हैं क्या? लोकसभा में सांसद विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुनकर आयेगा क्या? इन सब विषयों को लेकर पूरनचन्द ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, लेकिन दुःखद बात यह रही कि उस पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला देते हुए कहा कि-पीठ कहती है कि जब विधानसभा के सदस्य व्यस्क मताधिकार द्वारा चुनकर आए हैं तो यह अप्रत्यक्ष चुनाव भी प्रत्यक्ष चुनाव जैसा ही है। इस पीठ ने कहा कि संशोधन हो सकता है। (Now in form the seats will be filled by nomination by the President; but in reality what the modification provides is indirect election in place of direct election to these seats in the House of the People. The

modification lays down that the President will nominate members to these six seats on the recommendation of the Legislature of the State. The President must therefore nominate only those who have been recommended by the Legislature of the State, which is elected on adult suffrage. Now the only way the Legislature can make a recommendation for this purpose is by voting).

इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण दिन भारत के न्यायिक इतिहास में नहीं हुआ होगा। जम्मू-कश्मीर को लेकर बहुत सारे अन्याय देश के अन्दर पिछले 64-65 सालों में हुए हैं, आज इन सब विषयों पर सारे देश के अन्दर एक बहस खड़ी होनी चाहिए। देश के अन्दर आम राय बनाने की जरूरत है। वास्तव में अनुच्छेद 370 ने संविधान की मूल भावना को सीमित किया है। क्या भारत जैसे संघीय ढांचा जहां संघ को शक्ति अधिक दी गयी हों, क्या वहां ऐसा हो सकता है कि अवशिष्ट शक्ति राज्य में निहित हो? राज्य को अवशिष्ट शक्ति कैसे दी जा सकती है अनुच्छेद 246 वहां लागू ही नहीं होगा। यह कैसे हो सकता है? राष्ट्रपति आदेश (1963) में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य सूची नहीं होगी। ये सारी बातें साधारणः राष्ट्रपति के आदेश से हो सकती है क्या? अगर आपको लगता है कि जम्मू-कश्मीर को कुछ विशेष दर्जा देना है तो फिर संसद में प्रस्ताव लाइए, उस पर बहस कीजिए और फिर दीजिए। वास्तव में अनुच्छेद 370 की आड़ में जो राजनीतिक धोखाधड़ी जो हुआ है तथा जिसका संवैधानिक दुरुपयोग हुआ है, जिसके कारण जम्मू-कश्मीर के 120 लाख लोग पीड़ित है, देश के 125 करोड़ लोगों के अन्दर भेदभाव पैदा कर दिया गया है और भारत के जो संस्थान हैं, हमारे राज्यतंत्र को कमजोर किया गया है। इसके लिए देश के अंदर आम राय बनाने की आवश्यकता है। सारे देश में प्रबुद्ध लोगों में जागृति लाकर अनुच्छेद 370 के ऊपर एकमतता बनाने की आवश्यकता है

ताकि पिछले 65 वर्षों में यह सारी जो राजनीतिक धोखाधड़ी हुई है, इस धोखाधड़ी को दूर किया जा सके। जम्मू-कश्मीर के अन्दर भारतीय संविधान के 130 अनुच्छेद लागू नहीं है, लेकिन जो 262 अनुच्छेद लागू है, उनमें भी 100 अनुच्छेदों में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गए हैं। जिन्हें समझने की जरूरत है। इनको लेकर देश में एकमत बने, इसके लिए बहस खड़ी करने की आवश्यकता है। इन विषयों पर आज देश में एक बहस प्रारम्भ हुई है। जिसमें आज के कार्यक्रम के द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आयोजकों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं एवं सभी उपस्थित बंधुओं, भगनियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

श्रीनगर में स्थित वह घर जहां डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नज़रबंद किया गया था।

अनुच्छेद 370 : अलगाववाद का वाहक

- श्री सुनील सेठी

आदरणीय जवाहर लाल कौल साहब यहां उपस्थित बुजुर्गों एवं साथियों, विषय पर आने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर आज मैं आप लोगो के बीच आकर बोल रहा हूँ और आज आप लोग जम्मू-कश्मीर में आजादी से जा सकते हैं तो वह देन है उस बलिदान की जो डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान न हुआ होता और उन्होंने ये मुद्दा न उठाया होता तो आज शायद आप लोगों को जम्मू-कश्मीर में जाने के लिए पासपोर्ट या वीजा लेकर जाना पड़ता। उसी प्रकार से मुझे भी वहाँ से वापस आप लोगों के बीच में आने के लिए वही वीजा की या परमिट की परमिशन चाहिए होती। आप उसको वीज़ा कहिए या परमिट कहिए। जो परमिट आज पीओजेके जाने के लिए लगता है वही हमारे राज्य में जाने के लिए भी लगता।

मैं गर्व महसूस करता हूँ इस बात पर कि मैं जम्मू-कश्मीर राज्य में रहकर उस हवा में सांस लेता हूँ, जिस हवा में डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आखिरी सांस गयी, लेकिन मुझे अफसोस भी है कि डा. मुखर्जी की कुर्बानी की वजह से शायद जम्मू-कश्मीर राज्य का विलय कुछ हद तक भारत में हो गया। वहाँ पर भी आना-जाना वैसे ही हो गया जैसे बाकी राज्यों में होता है। लेकिन जिसे पूरी तरह से भारत के साथ मिलना था, उस पर आज भी संदेह किया जाता है और जो डा. मुखर्जी चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर राज्य का अलग से कोई संविधाान नहीं हो, लेकिन वहाँ आज भी दो संविधान हैं, जम्मू-कश्मीर राज्य का अलग से निशान नहीं हो लेकिन वहां आज भी दो निशान हैं।

राज्य के प्रधाानमंत्री की जगह पर मुख्यमंत्री की शब्दावली को आपने बदल दिया लेकिन शक्तियाँ उसकी बाकी मुख्यमंत्रियों से भी ज्यादा है। अब शायद यह

मौका आया है कि हमको इस पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे है कि इस स्थिति से देश को कैसे बचाना है। क्योंकि साठ साल पहले ये जो मुद्दे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाए उन पर उतनी गंभीरता से समाज ने चर्चा नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। जिसका नतीजा यह हुआ कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण विलय होना चाहिए जो देश के साथ होना चाहिए था जैसे पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ हुआ है। वह नहीं हो पाया। जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ पर अलगाववाद और उग्रवाद है। क्या जम्मू-कश्मीर में ये अलगाववाद और उग्रवाद होता अगर वहाँ पर अनुच्छेद 370 नहीं होता?

मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 नहीं होता तो आज जो हालत जम्मू-कश्मीर में वह नहीं होता जो आज वहाँ पर बने हुए है। जब अनुच्छेद 370 पर बात की जाती है तो मुद्दों को नजर में रखना पड़ता है। सबसे पहले तो यह है कि क्या अनुच्छेद 370 से किसी का फायदा हुआ है? क्या अनुच्छेद 370 का कोई सकारात्मक पहलू हमको दिखता है? हम संवैधानिक व्यवस्था की बात बाद में करते हैं, अनुच्छेद 370 यह स्थिति प्रदान करता है कि संसद की शक्तियाँ जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित होंगी। केवल उन्हीं विषयों पर शक्तियां प्राप्त होंगी, जिसे राष्ट्रपति उस राज्य के मुखिया (मुख्यमंत्री) तथा संविधान सभा से परामर्श करने के बाद अधिसूचित करेंगें। जिसका प्रभाव यह हुआ है कि जो केन्द्र सरकार कानून बनाती है वह वास्तविक रूप में जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं हो पाते, वह सारे कल्याणकारी कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं हो पाते क्योंकि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा उसे आसानी से स्वीकार नहीं करती।

एक अलग राज्य बनाने का आज यह प्रभाव हुआ कि जम्मू-कश्मीर राज्य जिसके पास बेइंतेहा प्राकृतिक संसाधान होने के बावजूद भी हालत यह है कि हमलोग जीएसपीटी में एक प्रतिशत से कम योगदान करते हैं। भारत सरकार की कुल राजस्व आय में हमारा योगदान एक प्रतिशत से कम है। और बदले में

जम्मू-कश्मीर को केंद्र सरकार से अपने राज्य के कुल खर्च का 73 प्रतिशत अनुदान मिलता है । जिससे राज्य सरकार चलती है। इसमें हम वह खर्च नहीं जोड़ रहें जो सुरक्षा संबंधी अनुदान है। अगर आप उसमें वह भी जोड़ लेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा खर्चा किया जा रहा है जम्मू-कश्मीर पर। केंद्र सरकार जो कुल अनुदान राज्यों को देती है, उसका तकरीबन 12 प्रतिशत जम्मू-कश्मीर को देती है। क्यों जाता है इतना ज्यादा अनुदान? क्या जरूरत है इस राज्य को? क्या यह जरूरत इसलिए है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में संसाधान नहीं है? क्या यह जरूरत इसलिए है कि जम्मू-कश्मीर में सामर्थ्य नहीं है?

अनुच्छेद 370 ने जो एक स्थिति पैदा की, जो एक अलगाववाद की कृत्रिम लाइन डाली उससे जो निवेशक है, वो जम्मू-कश्मीर में निवेश नहीं करता। अनुच्छेद 370 की वजह से अनुच्छेद 35 (ए) 1954 में प्रस्तुत हुआ। इस अनुच्छेद के नियमानुसार जो जम्मू-कश्मीर का रहने वाला नहीं है वह वहाँ पर जगह नहीं खरीद सकता, वह वहाँ पर रोजगार नहीं कर सकता और वह वहाँ पर निवेश नहीं कर सकता। आज आप अगर जम्मू-कश्मीर में देखें तो आज वहाँ पर कोई बड़ा विश्वविद्यालय नहीं है। एक छोटे से भी राज्य में आप देखेंगे कि काफी संख्या में निजी विश्वविद्यालय हैं। दूसरा वहाँ पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है। कोई बड़ा पर्यटन संबन्धित बुनियादी ढांचा नहीं है, कोई विशाल योजना रोजगार उत्पन्न करने के लिए नहीं बनी। निजी सेक्टर जम्मू-कश्मीर में न के बराबर है। क्योंकि निजी सेक्टर जम्मू-कश्मीर में आना नहीं चाहता। निजी सेक्टर को अगर इस बात की गारंटी नहीं है कि उनका निवेश जम्मू-कश्मीर में सुरक्षित है तो वो जम्मू-कश्मीर में नहीं आएगा। आज जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कारण जो हालात बने है इसका बड़ा नतीजा यह हुआ कि जो लोग अलगाववाद की भावना लेकर बैठे थे, चाहे वह कश्मीर घाटी में हो, चाहे वह जम्मू में हो, उस अलगाववाद की भावना को अगर हवा लगी तो वह सिर्फ अनुच्छेद 370 के

कारण। जिसकी यह राजनीतिक सोच है कि जिन्हें जम्मू-कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय नहीं करवाना है उसके लिए अनुच्छेद 370 एक साधन बन जाता है। और यह लगातार पिछले साठ सालों से दमन का साधन रहा है।

आप लोग अगर यह समझते है कि अनुच्छेद 370 को लेकर जम्मू-कश्मीर में कोई बड़ा समर्थन है, ऐसा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 370 को समर्थन करने वाला जम्मू-कश्मीर में एक खास वर्ग है। एक खास वर्ग वह है जो कि शोषक हैं, लेकिन बड़ा बहुसंख्यक वह है जो कि शोषित हैं। और वही एक खास वर्ग जो कि शोषक हैं, सत्तारूढ़ वर्ग है वह अनुच्छेद 370 के चाबुक से बहुसंख्यक को भी मारते हैं और उसी के चाबुक से जो राष्ट्रवादी हैं उसे भी मारते हैं। लेकिन ये स्थिति कब तक चल सकती है? क्या इस स्थिति को ऐसे ही बनाए रखना जरूरी है? मैं एक ऐसे राज्य से संबंध रखता हूँ जो एक बड़ा राज्य है लेकिन इन संवैधानिक प्रावधानों ने मेरे बड़े राज्य को भीषण राज्य बना दिया। मैं अपनी हर छोटी से छोटी जरूरत के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर हूँ। मेरे अपने राज्य में संसाधन उत्पन्न करने वाले साधन नहीं है क्योंकि मैं निवेश नहीं करवा सकता। इससे किसका भला होगा? अनुच्छेद 370 ने जो स्थिति बनाई उससे जन्म लिया अनुच्छेद 35 (ए) ने 1954 में। अनुच्छेद 370 के अंदर राष्ट्रपति ने एक संवैधानिक आदेश निकाला जिसमें उन्होंने नया अनुच्छेद 35 (ए) भारत के संविधान में जोड़ दिया। राष्ट्रपति ने लिखा कि अनुच्छेद 370 की क्लॉज 1, सब-सेक्शन 1 की शक्ति से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 (ए) प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी कानून के जानकार हैं हमारी उसमें आम राय है, इसमें राजनीतिक बहस अलग हो सकती है लेकिन कानूनी राय की बात है तो महामहिम राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 में कोई विधायी शक्ति नहीं प्राप्त है और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 ने ऐसी कोई शक्ति नहीं दी कि वह संविधान में कोई नई धारा प्रस्तुत करें। ये शक्ति सिर्फ संसद की शक्ति है जोकि 368 अनुच्छेद के अंतर्गत

आती है, तो क्या अनुच्छेद 368 की शक्ति का उल्लंघन हो गया धारा 370 में? और राष्ट्रपति साहब ने उन शक्तियों को एक्सर्साइज़ करते हुए जोकि उनके हाथ में नहीं थी, धारा 35(ए) संविधान में प्रस्तुत कर दी। क्या संसद की संवैधानिक शक्ति को कार्यपालिका द्वारा ले लिया गया? यह एक बड़ा सवाल है जिसे समझने की जरूरत है। हमारे संविधान में संसद सर्वोच्च है, संसद की शक्ति कार्यपालिका के पास नहीं जा सकती, लेकिन इस स्थिति में संसद की शक्ति को दरकिनार करते हुए कार्यपालिका के एक आदेश से एक नया अनुच्छेद भारत के संविधान में जुड़ जाता है।

अब अनुच्छेद 35 (ए) क्या कहता है? यह निराशाजनक हो सकता है और चौंकाने वाला भी। अनुच्छेद 35(ए) के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य का कोई भी कानून जो पहले से मौजूद है या फिर राज्य कानून बनाएगी जिसका सरोकार नागरिकता के साथ हो, अमान्य घोषित नहीं हो सकता। अब 35(ए) जो कि अनुच्छेद 370 के साथ जारी किया जाता है और इससे राज्य के स्थायी निवासी संबंधी अधिकार सुरक्षित किए जाते हैं, उसकी वजह से राज्य के संविधान में सेक्शन 5 से 8 जोड़ा जाता है जिसमें प्रावधान आता है जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी का। जम्मू-कश्मीर राज्य के संविधान में सेक्शन 5 जिसके द्वारा राज्य सम्बन्धों को सुरक्षित और परिभाषित किया। साथ ही विधान सभा का अधिकार उन सब विषयों पर लागू कर दिया जो संसद के पास थे । यदि अनुच्छेद 35(ए) संविधान में न होती जो अनुच्छेद 370 की वजह से प्रस्तुत हुई तो शायद किसी भी न्यायालय के लिए यह बड़ा आसान होता कि स्थायी निवासी के अधिकार सेक्शन 5 से 8 के अन्तर्गत उसकी परिभाषा एवं अधिकारों को अधिकातीत घोषित करने का। क्योंकि जब किसी भी जगह पर जम्मू-कश्मीर के कानून और संघीय कानून में विवाद आएगा तो संघीय कानून को विशेषाधिकार मिलेगा। अगर अनुच्छेद 35(ए) की सुरक्षा न हो सेक्शन 5 से 8 जम्मू-कश्मीर संविधान

को तो फिर यह आसान है कि कोई भी नागरिक न्यायालय से यह पूछ सकता है कि एक भारत का नागरिक होने के नाते मेरे अधिकार क्या हैं? अगर जम्मू-कश्मीर भारत का भाग है, जोकि भारत के संविधान के द्वारा भी घोषित है और जम्मू-कश्मीर के संविधान का सेक्शन 3 भी कहता है कि वह भारत का अभिन्न अंग है। तो फिर मेरे अधिकार कहाँ गए? भारत के किसी भी कोने में बसने का? फिर कोई भी नागरिक कह सकता है अनुच्छेद 21, 19, 14 के अनुसार मुझे कहीं भी रहने का अधिकार प्रदान किए जाए। लेकिन उसको बचाता है अनुच्छेद 35(ए) जोकि विधि का एक हिस्सा है जो प्रथम दृष्ट्या कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

35(ए) का प्रभाव कहां पर है? यदि हम कुछ उदाहरण देखें तो इसका प्रभाव यह है कि जो पश्चिमी पंजाब से शरणार्थी, यह शर्म की बात है कि आज भी हम उनको शरणार्थी मानते हैं। पश्चिमी पंजाब के सियालकोट जिले से लोग विभाजन के बाद जम्मू-कश्मीर में आ गए। अब जो पंजाब से आकर जम्मू-कश्मीर में पिछले 65 साल से रह रहे है, उनको जम्मू-कश्मीर राज्य कोई अधिकार नहीं देता। उनको राज्य में स्थायी निवासी संबंधी कोई अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अधिकार सेक्शन 5 से 8 के कारण बाधित हैं। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35(ए) नहीं होते तो पश्चिमी पंजाब के लोगों को आज जम्मू-कश्मीर में पूरे अधिकार मिलते। आज पश्चिमी पंजाब के शरणार्थी जो जम्मू-कश्मीर में रहते है वो संसदीय चुनावों में तो वोट दे सकते हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर मे विधानसभा चुनावों में उन्हे वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है। यह कौन सा देश हमने बना दिया कि जिसका नागरिक देश का तो नागरिक है लेकिन जहां वह पिछले साठ साल से रह रहा है, राज्य का स्थायी निवासी नहीं बन पाया।

अब दूसरा उदाहरण देखें 35(ए) कि उसका और कहां प्रभाव पड़ता है।

प्राथमिक प्रावधान यह था कि अगर जम्मू-कश्मीर की किसी लड़की की शादी जम्मू-कश्मीर से बाहर हो जाए तो उसका राज्य संबंधी अधिकार खत्म हो जाता है। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र पर लिखा होता था ''शादी तक मान्य''। शादी हुई तो राज्य के अधिकार भी खत्म। एक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका डाली गयी तो उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में एक सीमित सुरक्षा दे दी कि लड़की के अधिकार शादी के बाद भी सुरक्षित रहेंगे। मामला यहाँ खत्म हो गया लेकिन उस लड़की के बच्चों का क्या होगा? उस लड़की को तो राज्य अधिकार मिल गए लेकिन उसके बच्चों को कोई अधिकार नहीं है। अगर उस लड़की के पास कोई जायदाद है तो वह अपनी मृत्यु तक वह जायदाद रखेगी उसके बाद वह जायदाद राज्य को मिल जाएगी।

अब इसकी तुलना कर लीजिये दूसरे राज्यों के संबंध में अगर कोई पुरुष राज्य से बाहर की लड़की से शादी करता है तो वो लड़की भी राज्य की स्थायी निवासी बन जाएगी और उसके बच्चे भी राज्य के स्थायी निवासी बन जाएंगे। जम्मू-कश्मीर में या तो यह एक योजनाबद्ध प्रयास या फिर अन्य किसी कारण से यह हुआ! आज यासीन मलिक, अलगाववादी नेता ने पाकिस्तानी महिला से शादी की और वह राज्य की स्थायी निवासी बन गयी। उमर फारुख ने पाकिस्तानी लड़की से शादी की वह भी स्थायी निवासी बन गयी। डॉ फारूख अब्दुल्ला ने ब्रिटिश लड़की से शादी की वह भी राज्य की स्थायी निवासी बन गयी। उमर अब्दुल्ला ने भी राज्य से बाहर की लड़की से शादी की वह भी स्थायी निवासी बन गयी। एक ब्रिटिश लड़की जिसकी शादी जम्मू-कश्मीर में होती है उसका बेटा आज मुख्यमंत्री है इस राज्य का। और अपने राज्य की बेटियाँ जो बाहर चली जाती हैं, उनको आप पहचान ही नहीं देते। और उनकी जायदाद आप छीन लेते हो। यह देन है अनुच्छेद 370 की।

अब किसका भला हुआ अनुच्छेद 370 से? क्या अनुच्छेद 370 एक साधन

बन गया ब्लैकमेल करने का? अब जब भी बात होती है कि आप लोगों के जीवन स्तर में सुधार करिये तो आप अनुच्छेद 370 का हल्ला डाल देते हैं। मैं चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 के बने रहने पर, चर्चा होनी चाहिए क्योंकि किसी भी चर्चा में इस बात को सिद्ध करना कि अनुच्छेद 370 होनी चाहिए यह बहुत कठिन स्थिति है। आपने एक देश के बीच में एक और देश बना दिया। एक देश के बीच में संवैधानिक रूप से घोषित राज्य को स्वायत्त अधिकार दे दिये। यह कहीं से भी समझ नहीं आता।

जिन हालात में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर हुए और जिन हालातों में यह अनुच्छेद 370 प्रस्तुत किया गया वह हालात आज खत्म हो गए हैं। जब संविधान सभा बन गयी और जब जम्मू-कश्मीर का संविधान भी बन गया, तो वे हालात अब खत्म हो चुके हैं, अब उसे आगे जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अनुच्छेद 370 को पढ़ेंगे तो उसमे लिखा है राष्ट्रपति संविधान सभा के रहते हुए, अनुच्छेद 370 को किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं। अब मैं यह पूछना चाहता हूँ क्या यह स्थिति हमेशा के लिए थी या फिर संविधान सभा के कार्यकाल तक रहनी थी ? अगर संविधान सभा के खत्म होने तक यह स्थिति होती तो यह कानूनी तौर पर मान्य है। लेकिन अगर संविधान सभा खत्म हो जाती है और बगैर इस पर कोई फैसला किए हुए और संविधान सभा पुर्नजीवित नहीं की जा सकती तो फिर इस अनुच्छेद को क्या हम हमेशा स्थायी रखेंगे ?

अब इस स्थिति पर जनता की आम राय बनाना जरूरी है। अनुच्छेद 370 से निपटने के लिए जो दूसरे तरीके संविधान में प्रस्तुत हैं, उसमें यह हो सकता है कि अनुच्छेद 368 के तहत कोई संशोधन किया जाएं। अगर उस हिसाब से संसद में कोई बहुमत बनता है या फिर संसद को विश्वास में लिया जा सकता है कि आप 368 के तहत संशोधन करिए या अनुच्छेद 370 में या अनुच्छेद 368 में। क्योंकि आप अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 370 में कोई संशोधन करना

चाहेंगे तो आपको उसे राज्य सरकार से पास करवाना पड़ेगा। आप 368 के तहत 368 में ही संशोधन करना चाहेंगे तो आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है।

जहां तक अनुच्छेद 35(ए) की बात है तो मेरे अनुसार उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि इसे कानूनी तौर पर उसे उचित ठहराना मुश्किल है। इन सब विषयों पर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस स्थिति को लगातार जारी रखना, जमीनी सच्चाई को नकारने जैसा होगा और स्थिति और खराब करने वाली बात होगी। आज जम्मू-कश्मीर में कानून और व्यवस्था की समस्या 370 की देन है। अगर 370 नहीं होती और हमने जम्मू-कश्मीर राज्य में बाहर के लोगों को बसने की अनुमति दी होती तो वहाँ अलगाववाद न होता। तो फिर आप अपने शत्रु को इन स्थितियों का फायदा उठाने नहीं देते। हमने अनुच्छेद 370 के तहत शत्रु को उपजाऊ भूमि दे दी और जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता रहेगा।

मैं अनुच्छेद 370 को सिर्फ अनुच्छेद नहीं कहना चाहूँगा, अनुच्छेद 370 दरअसल अलगाववाद का वाहक है। जब तक ये अलगाववाद का वाहक रहेगा तब तक जम्मू-कश्मीर में अमन नहीं आ पाएगा और जम्मू-कश्मीर में हालत नहीं सुधारेंगे। क्योंकि जिन लोगों को सत्ता का खून मुंह लग गया है वे उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर भारत में आम जनमत यह बनता है कि 370 राष्ट्रीय हित के विरोध में है तो कोई मुश्किल नहीं है इससे बाहर निकलने में।

जो हालत जम्मू-कश्मीर में बने है उनसे बाहर निकलने के लिए मैंने जिन पहलुओं को रखा है, उस पर गौर किया जाए और एक आम राय बनाएँ कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35(ए) राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम करते हैं जो अलगाववाद की धारणा का प्रचार कर रहे हैं। अगर ये ऐसा ही पाए तो जम्मू-कश्मीर में अमन आ सकता है। इसके बगैर हालत जम्मू-कश्मीर में तो

खराब रहेंगे ही साथ ही जम्मू-कश्मीर की ही देन है जो कि देश भर में आतंकवाद फैला। जम्मू-कश्मीर की आग सिर्फ जम्मू-कश्मीर तक ही सीमित नहीं रही, यह आग दिल्ली गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी पहुंची है। एक ठोस प्रयास चाहिए जम्मू-कश्मीर के हालत से निबटने के लिए क्योंकि इसके अलावा कोई समाधान मुझे निकट भविष्य में नहीं दिखता।

मै शुक्रगुजार हूँ, मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं फिर कभी और इस विषय पर चर्चा करने लिए हाजिर रहूँगा।

धन्यवाद।

Article 370: Constricting the Integration Process of State with India

- Smt. Nirmala Sitharaman

Eminent leaders on the dais, very august gathering have come here to discuss the very critical article in the constitution i.e. "Article 370", which has repeatedly been in public discourse but never really caught their essentials so that the Indian citizens were well informed.

I first of all thank the Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation (SPMRF) for having chosen to call me to speak on this and any meeting which speak on this Jammu Kashmir related issue, I would think will not really be doing its job very well unless we start with paying a respectful homage to Dr. Syama Prasad Mookerjee, who actually sacrificed his life to keep Jammu and Kashmir as an integral part of India. So I would certainly do that with my humblest, sincere and heartfelt dedication.

Similarly the contribution made by Pt. Premnath Dogra, cannot be forgotten. There have been several such eminent people, I would not be able to recall one on one, but certainly others who have been martyred in the cause, who have received Param Veer Chakra's or Mahavir Chakra's such as Maj. Somnath Sharma, Brig. Rajendra Singh, Col Rinchen (Col. Chewang Rinchen MVC, was awarded the Mahavir Chakra for his bravery in 1947, when India repulsed the first Pakistani attack) and Maqbool Sherwani (19 year old hero who singlehandedly thwarted the advance of the Pakistani raiders and laid down his life in the process). I would like to definitely remember all of

them much before I say a few words on this Article 370, which is given place to a lot of confusion, a lot of grey areas some of which have been deliberately put on public discourse. I think it is time and I am very grateful indeed to Shri Narendra Modi who had raised this issue all over again, of course it has been in public discourse earlier, but I think at this time, to have raised it in such a way in Jammu, has actually given us an opportunity to see what the actual black and white truth behind this Article is.

I would only be stating some of the facts because it gives the backdrop for what I would like to place in front of you as opinions. As you all know Article 370 was adopted in October 1949, by the Indian Parliament and it appears in the part XXI which broadly categorises all those articles, which can been called as temporary, called as transitional and called as special provisions. At this many people would conveniently say, "Oh, because it is there, therefore it is a special provision." But, let us underline the fact that even as it was put under this part XXI, it was termed as 'Temporary Provision' and not under the Special Provision. So, underlying the fact that it comes under this broad umbrella category XXI, under which it could also have special provisions, but mention was made here that it was a temporary provision and not a special provision. So even from the very beginning there is no issue of confusion here in the mind of the Constitution makers while the Parliament adopted it or even subsequently, but it suited some people to say that it is a special provision and therefore it kept the cloud hanging on it.

Then actually what is it, Article 370 is certainly a procedural temporary mechanism which would help us to have easier, greater and smoother integration of Jammu and Kashmir into

the rest of the country as it went.

Now if that is the case there were quite a few discussions and one of which I want to straightaway link with the previous speaker (Shri Sunil Sethi), when he said, when this provision can be removed, provision doubtfully can be removed, cannot be removed, all these discussions he put aside by saying that there are ways which can remove it. I would broadly recall the discussion which happened both during Pt. Jawaharlal Nehru's time in the Parliament and also during Shri Gulzarilal Nanda's time as Prime Minister (Nanda was acting Prime Minister on two occasions - after Nehru's death in 1964 and after Lal Bahadur Shastri's death in 1966). In 1963 November, Pt. Jawaharlal Nehru had uttered the much repeated line that "it is going to eroded, gradually eroded and it shall erode finally completely." That is repeated, similarly Gulzarilal Nanda as Prime Minister had said in 1964 December that it is "possible to remove Article 370, amendment and other things are too much of confusion but it is possible to remove it through a Presidential Order through an Executive Order." He has used these two words, it is possible to remove it and if a Prime Minister had said that, it is a matter which we can seriously take on board and not go on getting ourselves into this whole big rigmarole about can it be, can it not be.

There have been Parliamentary statements made to this effect and therefore I think by not realizing this debate, I would also like to say that there are avenues Constitutionally provided, as the previous speakers said, to possibly consider whether this can be withered away or allow it to wither away completely. Now, while saying all this Prime Minister Gulzarilal Nanda had already said

that it is a tunnel like provision through which a lot of things can pass, lot of articles can pass, lot of laws can be passed, and it is passing, he had observed this. While he observed this probably a lot of things have passed and did get passed through, but what we have to today look into is the fact that, that tunnel has got narrower and narrower, that many of the articles are actually not reaching any longer. In 1964 that observation was made by the Prime Minister that it was like a tunnel through which lot of things were moving and flowing into Jammu and Kashmir, but today on a rough estimate nearly 130 Articles of the Constitution has not reached Jammu and Kashmir. So that tunnel itself has got so narrow, it has been constricted, there is probably a group, a vested interest group which probably benefits by constricting this tunnel further and further, that several legislations, provisions of the Constitution which can benefit the people of Jammu and Kashmir is not getting through. So I have given you a random 130 and it could be even more. So if that tunnel is getting constricted, is it helping in integration, is it helping better or worsening the situation. So, if Pt. Jawaharlal Nehru had said that it would gradually erode, I am wondering today, if it is getting constricted, is it not necessary for us therefore to say or ask whether its continuation is really helping the situation or is it aggravating the gulf?

Some of the examples of the 130 Articles that I am telling you about are the Articles 73rd and 74th Amendments to the Constitution which gives Panchayati Raj provision, which I think all of us, have already heard. There are nearly 33 thousand odd elected Panchayat and Sarpanch members and if the provision were promised in the Congress Manifesto of 2002 and 2008, what has stopped the Congress from bringing the Amendments

73rd and 74th fully into force in Jammu and Kashmir. So it is one thing for the Congress to repeatedly say don't you please talk about article 370 we know what it conveys, I would want to ask of them as to why exactly, if Article 370 was expected to get eroded, what stopped them from effectively using it for greater integration. This is a classic example of what Shri Rajiv Gandhi thought was very sacred and therefore they brought Panchayati Raj Amendments to the Constitution, itself suffering under Rahul Gandhi and Smt. Sonia Gandhi. I don't think the Congress Party is committed itself to even fulfill many of its own flagship programmes in Jammu and Kashmir, even worse is the question of the Amendment which Smt. Indira Gandhi brought in the Constitution, for example the word "Secular" does not apply in Jammu and Kashmir. If it does not apply and if I want to talk about misuse of Article 370, I would first of all say, drawing a reverse link, look at the way in which properties of people who have left Jammu and Kashmir, who been thrown out of Jammu and Kashmir is being continuously damaged, confiscated, occupied or even completely removed; temples have been destroyed, no guarantee is being provided for the properties of people who have already left the State and if it is not secular, it suits not to answer questions related to the minorities in Jammu and Kashmir. So I think in a way it suits and the selective applications, of the selective misuse of article 370 can be explained in many different ways.

Now selective is again when in 1976 during the Emergency, the 42nd Amendment Act, brought in an extended term for the Assemblies, the 5 year term of Jammu and Kashmir Assembly was extended to become 6 years. Then after that when the 44th amendment came into play, after Congress was thrown out, after

Emergency days. Then most of these extensions offered to the Assemblies were brought back to being 5 years back again. Opportune moment was taken by Sheik Abdullah's government at that time, during Emergency to also extend this application of 5 to 6 year term to Jammu and Kashmir Assembly and made it into 6 years that till today, inspite of notwithstanding 44th Amendment of the Constitution, the 6 years term has not been reduced to 5.

So the selective nature with which many things have been done in Jammu and Kashmir using Article 370 can be exemplified with very many such an examples. Now the extension or tunneling of Acts into Jammu and Kashmir using Article 370, misusing Article 370, has affected, as I said the Panchayati Acts moving to Jammu and Kashmir, 'Secular' word doesn't apply to them, and similarly Prevention of Corruption Act (PCA) does not apply to them. Therefore you find that inspite of the Comptroller and Auditor General repeatedly saying institutional corruption has gone uncorrected in Jammu and Kashmir, that's what said in the CAG's 2010 and 2011 report, no one is able to do much at all because without the PCA you are not going to be able pull up those people who misuse funds in J&K.

Now OBC's reservation is another very important development in India, which should have actually reached in Jammu and Kashmir, that's not reached. Thereby affecting Gujjar's, Pahari's and very many other communities, even Shia's and Sikh's and therefore the progressive legislations which are made in our country, so that many people who have been socially and otherwise backward can also benefit and come forward

speedily in the development process are not reaching out to Jammu and Kashmir and in this, the SC's and ST's Atrocity Prevention Act, is another absolutely vital legislation of the country which has not reached Jammu and Kashmir, again in the garb of "we have special status under article 370." This is leading to a situation of confusion.

I think again, the speaker before me was rightly referring to the Amendment which was made to Article 35 and by insertion of Article 35A into the Constitution, which was not done through a proper procedure, it was brought in as though with the consent of the Jammu and Kashmir Assembly, but brought in and through a Presidential Order. If that is acceptable why not consider through a Presidential Order and an Executive Order the withdrawal of Article 370, it is acceptable to insert a clause into the Constitution but not acceptable to have a Presidential Order to withdraw it.

Therefore there are quite a few things which are happening in Jammu and Kashmir which are denying the citizens of J&K all the equality and the rights which are otherwise provided under article 14 or 15 of the Constitution, only because constantly 370 is invoked and being invoked for such purposes.

And the much talked about, much touted by the Congress, "Right to Information Act" (RTI), that itself has gone through so many Amendments, every time there is a new Chief Minister, an Amendment has been made. Three times, three different versions of the RTI have been brought in again because we can do whatever with the Constitutionally approved, Parliamentary passed act and this has made RTI an expensive affair in Jammu & Kashmir, therefore denying people right to information on

particularly very critical issues which effect their general well being and also effective governance.

I only want to say that it is just not the BJP or those sympathetic to us, who are talking about misuse of Article 370. Dr. Javaid Rahi, (eminent scholar and researcher of tribal issues in J & K, prolific writer and national secretary of the Tribal Research & Cultural Foundation) who takes care of the tribal issues related movements in Jammu and Kashmir has himself said that 'we are not against the Article but this article is against us'. If he said that, it is because he, as somebody who is taking up the interests of the tribals, has realized that this particular Article has been misused and clearly because of this misuse those rights which people like the tribals and schedule castes hope for, are been denied to them. Regional disparities are also growing, the Representation of People's Act and the Delimitation Act through which representation of your presence in the Assembly or Parliament is determined has been denied, as a result many important regions of Jammu and Kashmir today do not have adequate representation in the Assemblies. Delimitation has been so done, that actually those who need the representation are not getting it.

I do not want to expand much more on this, there are more qualified speakers waiting and my time is running off but I am very grateful the organizers of this evening for having invited me to this discussion.

Jammu Kashmir Study Centre
New Delhi

Jammu Kashmir Study Centre (JKSC) is an organization dedicated to objective research and policy relevant studies on all aspects of the state of Jammu Kashmir. JKSC is committed to conduct studies of historical, legal and social aspects of this strategically important state of India and to disseminate the outcome of the same in right perspective in public domain. JKSC conducts investigations, issues statements and organizes seminars, workshops and orientation programs to highlight the issues related to Jammu Kashmir.

Our publications:

- Jammu Kashmir Article 370- Law and Politics
- Jammu Kashmir-Facts_Problem_Solution
- Jammu Kashmir Affairs: Mishandled::Misquoted ::Miscarried
- Gilgit-Baltistan- An Appraisal
- Jammu & Kashmir 1947- Accession and events thereafter
- Peoples Democratic Party- Self Rule Concept Document
- The Armed Forces Jammu & Kashmir Special Power Act 1990- A perspective
- Displaced Kashmiri Hindu – A dialogue initiative

(All books are published in Both, Hindi and English language)

- एक और पाकिस्तान?
- जम्मू कश्मीर पर वार्ताकारों की रिपोर्ट विसंगतियों का पुलिंदा

(Published in Hindi Only)

Office Address:

Jammu Kashmir Study Centre, New Delhi

Prawasi Bhawan, 50, First Floor, New Delhi, Tele : 011- 23213039
Email : jkscdel@gmail.com Website : www.jkstudycentre.org
Face book Page- https://www.facebook.com/JammuKashmirNow
News Blog- http://jammukashmirnow.blogspot.in/

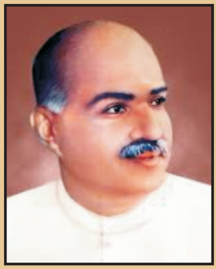

‘एक देश में दो निशान,
एक देश में दो प्रधान,
एक देश में दो विधान ,
नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगें।’

– डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

पराक्रमयुता प्रज्ञा राष्ट्राभ्युदयसाधिका
Wisdom with valour brings glory to the nation

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation
11, Ashok Road, New Delhi - 110001, Website: www.spmrf.org
E-mail : office@spmrf.org, **Telephone :** 011 - 48005769